कलाम

Give wings to your dreams...

देशराज कृत

शेखावाटी के जन जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक

देवेन्द्र कुल्हार

अरविन्द भास्कर

देशराज कृत

शेखावाटी के जन जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक

देवेन्द्र कुल्हार
अरविन्द भास्कर

कलाम पब्लिकेशन सीकर

सर्वाधिकार सुरक्षित - प्रकाशन
प्रथम संस्करण - 2025

लेखन - देवेन्द्र कुल्हार
अरविन्द भास्कर

विशेष सहयोग :
कुलदीप फेनिन
राकेश सुण्डा

मूल्य : 250 रुपये

प्रकाशक :
कलाम पब्लिकेशन
नवलगढ़ रोड़, सीकर (राज.)
332001

अनुक्रमणिका

अपनी बात - देवेन्द्र कुल्हार व अरविन्द भास्कर i
प्राक्कथन - एच. आर. ईसराण vii
लेखक की ओर से - देशराज 1
भूमिका - सरदार हरलाल सिंह 2
शेखावाटी की जन-जागृति का वास्तविक रूप - सत्यदेव विद्यालंकार 4
1. काल विभाजन 6
2. शेखावाटी का परिचय 7
3. शेखावाटी की जागृति का क्रमिक इतिहास 26
4. दमन दावानल 67
5. आर्डिनेंस शासन एवं फिर से दमन 82
6. नया मोड़ 118
7. सत्याग्रह और दमन 125
8. स्वर्ण प्रभात 136
9. दुखद और आश्चर्यजनक घटना 138
10. परिशिष्ट (1) शेखावाटी के नरमेध 139
11. परिशिष्ट (2) शेखावाटी के प्रकाश स्तम्भ 156
12. परिशिष्ट (3) शेखावाटी के निर्माता 157
13. संपादकीय परिशिष्ट (1) विविध लेख 173
14. संपादकीय परिशिष्ट (2) शेखावाटी किसान आन्दोलन का प्रारम्भिक दौर 184
15. संपादकीय परिशिष्ट (3) झुंझुनू जाट महोत्सव 199
16. संपादकीय परिशिष्ट (4) किसान नेता करणीराम मील और रामदेवसिंह गिल 207
17. संपादकीय परिशिष्ट (5) ठाकुर देशराज : शेखावाटी में जनजागरण का अग्रदूत 216

अपनी बात

स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अपने आप में अनूठी है और उत्साह व प्रेरणा का यह एक अक्षय स्रोत है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी युगों तक प्रेरित करता रहेगा। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में शेखावाटी क्षेत्र का अतुल्य योगदान रहा है। यहां के स्वतंत्रता सेनानियों को तिहरे अवरोध एवं यातनाओं का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश राज जहां स्वतंत्रता संग्राम का कट्टर विरोधी था, वहीं देशी रियासतों के राजा और उनके जागीरदार स्वतंत्रता आन्दोलन व जन जागरण को दबाने और कुचलने के लिए तत्पर रहते थे। शेखावाटी क्षेत्र में जन-जागृति लाने के लिए अनेक भूले-बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहूतियां दी थीं। अत: यह आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी व आने वाली पीढ़ियां उनके साहस और त्याग से परिपूर्ण यशस्वी इतिहास को जानें और इससे प्रेरणा लें।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही शेखावाटी क्षेत्र में जन-जागृति का दौर प्रारम्भ हो गया था, जब यहां के शासकों व जागीरदारों के शोषण के खिलाफ किसान उठ खड़े हुए। शेखावाटी का किसान आन्दोलन बिजोलिया किसान आन्दोलन के बाद चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा किसान आन्दोलन था। शेखावाटी का सम्पूर्ण भू-भाग राजपूत जागीरदारों के अधीन था और वे किसानों से मनमाने भूमिकर के अलावा अनेक तरह की लाग-बाग व बेगार लेते थे। भूमिकर लेने तक किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन लाग-बाग ने किसानों की कमर तोड़ दी। सुबह घर के चुल्हे जलाने पर 'धुंआ बाच' की लाग से लेकर दिन में पशु चराने पर 'पान चराई' और शाम को पशुओं को खूंटों से बांधने पर 'खूंटाबंदी' की लाग तक ली जाती थी। अति तो तब हो गई जब खेतड़ी जैसा ठिकाना भैंस ब्याने (प्रसव) पर पांच रुपये टैक्स लेने लग गया और सीकर जैसे ठिकाने के अधीश्वर हरिद्वार स्नान पर गये तो उन्होंने सारा खर्चा किसानों से वसूला। देशराज के अनुसार 'थोड़े दिन बाद हवाई जहाज की लाग भी आरम्भ हो जाती, यदि किसान जागते नहीं तो।'

शेखावाटी किसान आन्दोलन उस दौर की कहानी थी जब अधिकांश किसान बेबस, हताश और निराश थे। किसान को अपने हक की बात कहना तो दूर था; अगर वे ऐसी बात सुन भी लेते थे तो गढ़-कोटड़ियों के काठ* से उनकी चीखें सुनाई देती थीं। ठिकानाशाही सत्ता और जूते के जोर से किसानों पर जुल्म करती थी। किसान खुद भूखे-प्यासे रहते लेकिन ठिकानेदारों का पेट भरते। किसानों की मेहनत का पसीना रिस-रिस कर उनके गढ़-कोटड़ियों को सींच रहा था। इस विषम परिस्थिति

* काठ की सजा - काठकोरड़ा लकड़ी के दो टुकड़ों से बनता था। दोनों टुकड़े एक दूसरे पर रखे जाते थे और एक तरफ कब्जों से जुड़े रहते थे। दूसरी तरफ उनमें से निचले हिस्से में कुण्डा और उपरी हिस्से में कूंटिया लगा रहता था। इस भाग में ताला लगा दिया जाता था। काठ के दोनों टुकड़ों में तीन-चार जगह अर्द्ध चन्द्राकार दो कटाव होते थे। निचले काठ में अपराधी के पांव की पिंडली का निचला हिस्सा रखकर काठ का दूसरा हिस्सा ऊपर रख दिया जाता था। एड़ी से लेकर पैर की उंगली तक का पूरा भाग काठ के बाहर रहता था। अपराधी हजार कोशिश करके भी उस छोटे से छेद से अपनी एड़ी बाहर नहीं निकाल पाता था। अपराधी के दोनों पांव फंसे रहते और वह कोरड़े के बाहर पीठ के बल लेटा दिया जाता था। उसे भोजन, पानी भी नहीं दिया जाता था। उसे मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी, धूप आदि भी सहन करनी पड़ती थी। यह एक भयंकर यंत्रणा थी। *स्रोत - लक्ष्मण भारद्वाज : आपणो रामगढ़, महाराष्ट्र, 2013, 189*

में ठाकुर देशराज का शेखावाटी क्षेत्र में आगमन हुआ और उन्होंने लगभग आधे दशक तक अपनी कलम व काबिल कदमों से शेखावाटी क्षेत्र के किसानों का सफल नेतृत्व किया। आजादी के बाद उन्होंने किसान संघर्ष को स्थायी रूप देने के लिए अपनी कलम से शहीद रामदेव-करणीराम के शहादत दिवस पर 1961 में 'शेखावाटी के जन-जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक' का लेखन किया जिसमें 1920 से 1960 के दौरान की घटनाओं का जीवंत वर्णन है।

शेखावाटी किसान आन्दोलन का यह समकालीन दस्तावेज लम्बे समय से पाठकों की पहुंच में नहीं था। करीब नौ वर्ष की लम्बी खोजबीन के बाद इस पुस्तक की एक प्रति हमें हरियाणा में सुरेहती जाखल (जिला महेन्द्रगढ़) निवासी श्री शेरसिंह शास्त्री पूनियां के निजी पुस्तकालय में प्राप्त हुई जिसे उपलब्ध करवाने के लिए हम श्री शेरसिंह जी के आभारी हैं। पुस्तक की अनुपलब्धता एवं इसके ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसे पुन: प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया। इस संपादित संस्करण में देशराज जी की कृति के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए प्रत्येक अध्याय के अंत में हमारी तरफ से 'संदर्भ एवं टिप्पणियों' के रूप में नवीन अतिरिक्त सामग्री को शामिल किया गया है।

अपनी बात में हम यहां दो बातों को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली तो यह कि 'शेखावाटी' शब्द का अर्थ देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है। आजादी से पूर्व यह शब्द समकालीन दस्तावेजों, समाचार-पत्रों व जनगणना रिपोर्टों में 'शेखावाटी पंचपाने' के लिए होता था जिसमें झुंझुनू जिले के पांच ठिकाने नवलगढ़, मंडावा, डूण्डलोद, बिसाऊ और महणसर शामिल थे। यह क्षेत्र जयपुर राज्य की बारह निजामतों में से एक 'शेखावाटी निजामत' में आता था जिसका मुख्यालय झुंझुनू था। सीकर व खेतड़ी जैसे बड़े ठिकाने तथा खण्डेलावाटी, उदयपुरवाटी व तोरावाटी का क्षेत्र आजादी पूर्व शेखावाटी क्षेत्र में नहीं था। आजादी के उपरान्त जब ठाकुर देशराज ने किसान आन्दोलन का इतिहास लिखा तो उन्होंने सीकर व झुंझुनू जिलों के संयुक्त क्षेत्र के लिए 'शेखावाटी' शब्द काम में लिया। इन दोनों जिलों के किसानों की समस्याएं, उनका संघर्ष तथा नेतृत्व परस्पर जुड़े होने के बावजूद कई मायनों में उनका आन्दोलन एक-दूसरे से पृथक भी रहा।

दूसरी बात यह कि शेखावाटी के अधिकांश किसान जाट थे। अत: जागीरदारों के अत्याचारों का दंश सर्वाधिक उन्हें ही झेलना पड़ा और उन्होंने ही इसके खिलाफ निडरता से साथ आवाज उठाई।* लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य जातियों के लोगों का उत्पीड़न नहीं हुआ और उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। चाहे 'अगड़ा' हो या 'पिछड़ा', ठिकानेदारों ने अपने शोषण व

---

* कुछ सिरफिरे लोग कट्टर ठिकानेदारों के विरोधी ऐसे भी थे जो सब तरह की तकलीफें सहन करके भी संघर्षरत रहे और ठिकानेदारों को उन्होंने लगान भी देना नहीं चाहा। उदाहरणस्वरूप कुहाड़वास का गूगन जाट एक भैंसा व एक काले बैल की जोड़ी हल चलाने को रखता था। कुहाड़वास ठिकाना नवलगढ़ के दोनों पानों का गांव था। बड़े ठिकाने का ठाकुर मदनसिंह व छोटे का बाघसिंह था। बाघसिंह का गढ़ मुकुन्दगढ़ में था। गूगन ने अपने भैंसे का नाम 'मदनिया' व काले बैल का नाम 'बाघला' रख छोड़ा था और वो उसी नाम से दोनों को पुकारता था। वह अनपढ़ था मगर निडर व कट्टर था। कुहाड़वास (जो हरियाणा की सीमा के पास है) से पैदल झुंझुनू में मुकदमे लड़ने के लिए आता था। इसी तरह का एक शख्स गौरीर का घोघड़ नाम का भी था। वह भी ठिकाने को लगान नहीं देना जानता था और हमेशा मुकदमे लड़ता रहा। *(विद्याधर कुलहरि : मेरा जीवन संघर्ष, कसवा ऑफसैट प्रिंटर्स झुंझुनू, 2001, 83)*

उत्पीड़न से किसी को नहीं छोड़ा। 1944 के पचेरी काण्ड *(देखें पृष्ठ 152)* में दो किसान दत्तूराम जांगिड़ और बिरजू यादव शहीद हुए। इस सम्बन्ध में कुछ अन्य उदाहरण भी दृष्टव्य हैं :-

ठिकानेदारों द्वारा जगह-जगह मारपीट

.... लादूराम नामक भोदण के गुर्जर को ठिकाने के नौकरों ने इसलिये पीटा कि उसने कुएं पर पानी निकालना बंद करके उन्हें पानी नहीं लेने दिया। नौकरों ने पहले तो झगड़ कर एक जूता कुएं में डाल दिया और फिर लादूराम को पकड़ कर जखोड़ा के ठाकुर के पास ले गये। सोभागसिंह ने क्रुद्ध होकर बेचारे को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। इन लोगों का कहना है कि उसे उसके घर वालों से भी नहीं मिलने दिया गया और उसके इतनी मार पड़ी है कि हालत खतरनाक है।

डूमोली बड़ी गांव से खबर मिली है कि महणसर का ठाकुर धौंकलसिंह खुद इस गांव में आया हुआ है और एक रुपया छ: आना प्रति बीघा माल मांगता है। इस साल गांव में अकाल रहा है और यही वजह है कि अब तक किसान लोग माल नहीं दे सके हैं। ठाकुर साहब ने लोगों को इकट्ठा करके जल्दी माल दे देने की धमकी दे दी है और स्योलाल वल्द जैराम कुम्हार को तो सबके सामने पकड़ कर एक कमरे में बंद करके इतना पीटा है कि कुछ लोग भय से घबराकर गांव से भाग गये हैं। *(1939 का एक समाचार-पत्र) (RSAD Bikaner, Jaipur Mahkmakhas Confidential, Basta-02, File no-48(2), 27)*

*

गरीब ब्राह्मणी के कड़े छीन कर निकाल दिया

पचेरी गांव से खबर मिली है कि एक ब्राह्मण से गत वर्ष अकाल होने से माल नहीं दिया गया और इस वर्ष पुन: अकाल होने से उसको काफी दिन तक खाना नहीं मिला। गांव के महाजनों ने मिल कर उसे कुछ अनाज भी चन्दा कर के दिया था। ऐसी हालत में भी पचेरी के ठाकुर ने ब्राह्मण को बुला भेजा और दो दिन तक गढ़ी में रोके रखा। उस गरीब की स्त्री जब रोती-पीटती वहां पहुंची तो उसके पैरों के चांदी के कड़े निकाल लिये गये। ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोते-कलपते गांव में आये तथा गांव में शर्म के मारे न रह सकने के कारण रात को ही न जाने कहां चले गये। *(हिन्दुस्तान : 31 अक्टूबर 1939)*

*

मुकुन्दगढ़ ठिकाने की मनमानी
हरिजनों के साथ अत्याचार

यहां का ठिकानेदार 'बाहरली बहत' का लगान कुछ दिनों से जबरन वसूल कर रहा है। (बाहरली बहत के माने हैं कि मुकुन्दगढ़ में रह कर दूसरे ठिकाने की जमीन जोते तो उस किसान को उस ठिकाने का लगान देने के अलावा मुकुन्दगढ़ ठिकाने को ढ़ाई आना बीघा और देना पड़ता है।)

यहां के हरिजनों ने ठिकाने से प्रार्थना की कि इस साल अकाल पड़ गया है, इसलिए यह लगान न लिया जाये। लेकिन ठिकानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की और हरिजनों को तंग करने लगा। इस पर चमारों ने झुंझुनू में जाकर दावा कर दिया। ठिकानेदार भला गरीब हरिजनों का यह साहस कैसे सहन करता? उसने बदला लेने के लिये एक चमार की छान *(छप्पर)* जलवा दी। इस कारण सब चमार गांव छोड़ कर चले गये। आखिर ठिकाने ने दब कर चमारों को 25 रुपये छान के हर्जाने के दिये और खुद ठिकाने का आदमी उनको बुलाकर लाया। तब से अब तक ठिकाने की और चमारों की लड़ाई चल रही है। ठिकाने ने चमारों को दबाने के लिये उनको मकान बनाने और छान छाने से बंद कर दिया है। गांव में सब आदमियों से कह दिया है कि कोई भी आदमी चमारों को काम पर नहीं लगावे। यदि कोई लगावेगा तो उसका काम रोक दिया जावेगा और मकान वगैरा

के लिये मिट्टी नहीं लाने दी जावेगी। ठिकाने ने कई आदमी ऐसे भी रख छोड़े हैं जो चमारों से झगड़ा कर लें और उन्हें दण्ड दिलायें। ये लोग अक्सर कुएं पर बैठ जाते हैं और चमारों को पानी भरते समय तंग करते हैं। चमार लुक छिप कर पानी भर ले जाते हैं।

अभी हाल में एक ठिकाने के आदमी ने चार चमारों को खाल चुराने का झूठा मुकदमा लगा कर गिरफ्तार करा दिया है। चमार तंग आकर झुंझुनू के नाजिम के पास अपनी तकलीफों को कहने गये थे लेकिन वहां 5 दिन पड़े रहने पर भी नाजिम ने कुछ नहीं सुना।

अब सब तरह से तंग आकर कुछ चमार सदैव के लिये मुकुन्दगढ़ छोड़कर जाने वाले हैं क्योंकि उनको यहां गांव में किसी प्रकार की मजूरी *(काम)* नहीं मिलती है। ठिकाना उनको हर प्रकार से तंग कर रहा है। वक्त-वक्त पर उनकी बहू-बेटियों की बेइज्जती की जाती है। अधिकारी लोग भी कुछ सुनते नहीं हैं। हरिजन सेवक समिति के मंत्री श्री होतीलालजी शर्मा चमारों की मदद कर रहे हैं इसलिए ठिकाना उनके भी खिलाफ हो गया है और उन्हें मारने व पिटवाने की धमकियां दे रहा है। *(नवज्योति : 12 फरवरी 1940)*

*

बच्चे बिलबिलाते हैं और अधिकारी खिलखिलाते हैं

ठिकाना परसरामपुरा ने अपने अधीनस्थ मौजा हनुमानपुरा में लगान की वसूली आरम्भ कर दी है। ठिकाने के आदमियों ने बालू वल्द चून्ना नाम के एक नाबालिक खाती के लड़के को तुरन्त लगान देने में असमर्थता प्रकट करने पर उसके पैरों के बीच में चारपाई देकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा भी बहुत लोगों को मारपीट गाली-गलौच दी गई। *(राजस्थान : 15 दिसम्बर 1941)*

*

खेत जोतते किसानों पर हमला

ठिकाना नवलगढ़ के ढंढारिया नामक गांव के दो हरिजन किसान झुंझनू के अस्पताल में तलवार से सख्त घायल होने के कारण भरती किये गये हैं। किस्सा यों बताया जाता है कि जबकि उक्त दोनों किसान अपनी जमीन को जोत रहे थे तो अचानक नवलगढ़ ठिकाने के कर्मचारी लादूखां चौधरी, किशना, महादेव पटवारी आदि वहां आये और किसानों को खेत जोतने से रोका। किसानों ने कहा कि वे माल (लगान) दे चुके हैं फिर उन्हें क्यों रोका जाता है। इसी बात पर कहासुनी बढ़ गई और ठिकाने के आदमियों ने किसानों पर तलवार से हमला किया। फलस्वरूप उनके सख्त चोट आई और वे अस्पताल में लाये गये। मालूम हुआ है कि अब किसान के परिवार की स्त्रियों को गांव छोड़ने के लिए दबाया जा रहा है। *(साप्ताहिक लोकवाणी : 20 जुलाई 1943)*

*

बेगार न देने पर चमार मौत के घाट पर

बन्दोबस्त के अमीन के विरुद्ध गंभीर आरोप

सीकर (डाक से)। समाचार मिला है कि बेगार देने से इंकार करने पर महकमा बन्दोबस्त के एक अमीन ने यहां से 6 मील दूर झीगर गांव के एक 60 वर्ष के बूढ़े चमार को बेरहमी से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

सीकर के जागीरी गांवों में आजकल जमीन की पैमाइश हो रही है। अमीन तथा अन्य राज कर्मचारी इस काम के लिये चमारों को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। घटना के दिन झीगर में उक्त चमार ने बेगार में काम करने से इंकार कर दिया। इस पर अमीन आग-बबूला हो उठे। उन्होंने आव देखा न ताव, बेचारे चमार के 5-7 लाठियां जड़ दीं। वह गिर पड़ा किन्तु अमीन जी को फिर भी दया न आई। उसे उठवा कर तथा मुर्गा बनाकर एक भारी पत्थर उसकी पीठ पर रख दिया। असह्य बोझ तथा मारपीट के कारण वह बेहोश हो गया और कोई आधे घंटे बाद वहीं मर गया। जुर्म दबाने की नियत से उसकी लाश को वहीं जला दिया गया। *(लोकवाणी : 21 मई 1947)*

ठाकुर देशराज की कृति 'शेखावाटी में जन जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक' को नवीन रूप प्रदान करने और इसे तथ्यात्मक रूप से समृद्ध करने के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में मौजूद जयपुर, बीकानेर व भरतपुर रियासतों की अभिलेखीय सामग्री का सहारा लिया गया है। इनके अलावा तत्कालीन समाचार पत्रों - गणेश, अर्जुन, भारतमित्र, विश्वमित्र, लोकमान्य, हरिजन, जाटवीर, नव राजस्थान, कर्मवीर, हिन्दुस्तान टाइम्स आदि का सहायक सामग्री के रूप में सुसंगत प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में शेखावाटी किसान आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे कुंवर नेतरामसिंह गौरीर, विद्याधर कुलहरि, ख्यालीराम भामरवासी, चौधरी ताराचंद झारोड़ा आदि के संस्मरणों को शामिल किया गया है। प्रो. पेमाराम, डॉ. बृजकिशोर शर्मा, मोहनसिंह, सहीराम, रामेश्वरसिंह व पितराम गोदारा द्वारा शेखावाटी किसान आन्दोलन पर लिखे गए शोध ग्रंथों की भी इस संपादन कार्य में मदद ली गई है।

पुस्तक संपादन कार्य के दौरान प्यारे बच्चों दृष्टि, आर्वी, अजय, रोनित, हर्षा, खुशी व कुलवंत की अठखेलियों से नई ऊर्जा मिलती रही तो भाइयों डॉ. सुरेन्द्र, विजेन्द्र, अशोक, डॉ. विकास, कमलेश, डॉ. अटल और तुषार ने लगातार उत्साहवर्धन किया। मित्र कुलदीप फेनिन (रसीदपुरा) व राकेश सुण्डा (शिवराना का बास) ने समकालीन समाचार-पत्र जुटाने में सक्रिय सहयोग दिया। श्री दयाराम महरिया, श्री रामचन्द्र सुण्डा, श्री लक्ष्मणराम बुरडक, श्री कामराज कुहाड़वास, श्री अश्विनी कुमार (प्रभारी, श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर), डॉ. राजेन्द्र कुमार (टैगोर फेलो, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली) और डॉ. नितिन गोयल (निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर) के सहयोग व स्नेह के प्रति हम कृतज्ञ हैं। पुस्तक को वर्तमान स्वरूप देने में श्री एच. आर. ईसराण साहब के प्रति हम विशेष आभारी हैं जिन्होंने न केवल कदम-कदम पर हमारा मार्गदर्शन व सहयोग किया बल्कि इस पुस्तक के लिए प्रभावी प्राक्कथन व शहीद रामदेव-करणीराम पर संपादकीय परिशिष्ट लिखा।

आशा है हमारा यह प्रयास शेखावाटी किसान आन्दोलन में शामिल रहे किसानों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने तथा नई पीढ़ी को देश व समाज सेवा में प्रवृत करने में सहायक सिद्ध होगा।

देवेन्द्र कुल्हार
अरविन्द भास्कर
arvindbhaskar6@gmail.com

प्राक्कथन

''जागृति, समझदारी, साहस एवं धैर्य की दृष्टि से शेखावाटी यूरोप का इंग्लैंड, एशिया का जापान है। ऐसी कोई प्रगति नहीं जिसमें शेखावाटी के किसान भाग न ले रहे हों। उनमें सीखने और आगे बढ़ाने की उत्कट इच्छा है .... सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने, शिक्षा को बढ़ाने और रहन-सहन के दर्जे को ऊंचा उठाने के प्रयत्नों में भी वे बराबर भाग ले रहे हैं।'' आजादी के बाद शेखावाटी इलाके को प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए देखकर उक्त उद्‌गार राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार ठाकुर देशराज ने सन् 1961 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'शेखावाटी के जन जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक' के पृष्ठ 12 पर व्यक्त किए हैं।

आज शेखावाटी के किसानों की जो मजबूती और जागरूकता देखने को मिलती है, उसके दो प्रबलतम कारण गिनाते हुए ठाकुर देशराज लिखते हैं, ''एक शेखावाटी के सेठों का शिक्षा दान और दूसरा आर्य समाज और जाट सभा द्वारा उनमें सामाजिक क्रांति का बीजारोपण।'' शेखावाटी की माटी में देश के उस किसान आन्दोलन की खुशबू है, जिसने रियासती राज और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। बीसवीं सदी के दूसरे दशक का अंत शेखावाटी में ऐसे जनसंघर्ष की शुरुआत से हुआ, जिसने इस इलाके के किसानों के लिए भूगोल के अंदर अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों के सवालों को सिखाने का स्कूल तैयार किया।

पुस्तक के प्रारम्भ में शेखावाटी और बिजोलिया के किसानों की वर्तमान स्थिति का ठाकुर देशराज जायजा लेते हुए स्पष्ट करते हैं कि शेखावाटी के जुझारू किसान अपना नेतृत्व संभालने में समर्थ हो चुके हैं। उसके अपने नेता हैं और नेताओं का राजस्थान की राजनीति में प्रभावी स्थान है। कार्यकर्ताओं की भरमार है। वे प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में भाग लेते हैं। शेखावाटी को इतना गतिमान और समृद्ध अथवा महत्त्वशाली बनाने और इसकी सर्वांगीण उन्नति में कई संस्थानों और कई महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ रहा है। समाज सुधार में शेखावाटी के किसानों को आर्य समाज और जाट सभा ने आगे बढ़ाया और शिक्षा प्रसार किया। किसान पंचायत ने किसान दृष्टिकोण से सोचने और किसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए शेखावाटी के किसान को स्फूर्ति दी। प्रजामण्डलों और कांग्रेस कमेटियों ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। यही कारण है कि शेखावाटी का किसान और उसके नेता हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर रहे।

मैं इस सम्बन्ध में यह जोड़ना चाहूंगा कि शेखावाटी किसान आन्दोलन की बागडोर संभालने वाले जननेता प्रगतिशील सोच के धनी थे, दूरदर्शी थे। समाज के उत्थान के लिए लड़ने-भिड़ने से नहीं हिचकिचाते थे। वे जानते थे कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। शेखावाटी के जुझारू और स्वाभिमानी योद्धाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तब जाकर शोषणकारी राजशाही और जागीरदारी व्यवस्था से मुक्ति मिल सकी थी। राजशाही से मुक्ति और जनता की विजय के लिए लंबे संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसने शेखावाटी इलाके की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर में खुशनुमा रंग भर दिए हैं। इस स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक मुक्ति के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी था। संघर्ष ठहरता नहीं बल्कि गतिमान रहता है। वक्त के प्रवाह के साथ उसकी गति और बढ़ती है।

मेरा यह भी मानना है कि आजादी के बाद आर्थिक सम्बन्धों में दो परिवर्तन आए। पहला, कृषक जातियों को जमींदारी उन्मूलन के चलते कृषि भूमि का मालिकाना हक मिला जिसने उनकी

आर्थिक ताकत को मजबूत किया। मेहनतकश प्रगतिशील किसानों ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर और अपनी संतानों को शिक्षित कर उनको नौकरी-पेशे से जोड़कर अपनी आर्थिक हैसियत को और मजबूत किया और इससे गांवों में उनकी सामाजिक-राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी। दूसरा, किसानों की मजबूत होती आर्थिक हैसियत ने राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी बढाई, जिसे हम सत्तर के दशक में उनके राजनीतिक उभार और राजनीतिक दावेदारी के रूप में देख सकते हैं। नब्बे के दशक तक यह परवान चढ़ता रहा और कुछ हद तक इसका असर 21 वीं सदी के शुरुआती चार-पांच साल तक रहा।

निस्संदेह, शेखावाटी किसान आन्दोलन इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। कई वीरों की शहादत ने आन्दोलन को नई ऊर्जा, संघर्ष की प्रेरणा एवं दिशा दी। अपना सर्वस्व न्योछावर कर किसान आन्दोलन को और अधिक प्रबल एवं प्रभावी बनाने में वीर किसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

पुस्तक के लेखक ठाकुर देशराज (1895-1970) राजस्थान के एक अग्रगण्य स्वतंत्रता सेनानी, कुशल संगठक, वाकपटु व सुयोग्य राजनेता, मूर्धन्य इतिहासकार, जागरूक व प्रखर पत्रकार, सुविख्यात समाज सुधारक, विपुल लेखक, निर्भीक नेतृत्व के गुणों से युक्त महान व्यक्तित्व के धनी थे। एक बेहद उम्दा इंसान भी। शेखावाटी की जनजागृति के साथ उनका गहरा सम्बन्ध था। शेखावाटी किसान आन्दोलन के प्रमुख रणनीतिकार होने के साथ-साथ वे इसके अगुवा भी रहे।

एक मशहूर अफ्रीकन कहावत है, 'जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, इतिहास शिकारी का ही महिमामंडन करता रहेगा।' शायद इस बात के मर्म को समझते हुए ठाकुर देशराज ने शेखावाटी के किसानों के संघर्ष को कलमबद्ध करने की ठानी होगी।

पुस्तक का सार-संक्षेप

पुस्तक प्रमुखतः शेखावाटी में देशी सामंतवाद (राजशाही, ठिकानेशाही और जागीरदारी व्यवस्था का त्रिस्तरीय जंजाल) और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण और दमन के खिलाफ यहां के किसानों के मुक्ति-युद्ध का दस्तावेज है। इसमें शेखावाटी में जन-जागृति का दीप प्रज्ज्वलित कर नेतृत्व की अमिट छाप छोड़ने वाले पुरोधाओं के योगदान को रेखांकित किया गया है। पुस्तक पढ़ने पर पाठक यह जान सकेगा कि शेखावाटी की जागृति का इतिहास क्या है? शेखावाटी का किसान किस दुर्दशा का शिकार था? वह किस तरकीब से उठा, किस गति से अथवा किन-किन मोड़ों को पार करते हुए मंजिल तक पहुंच सका?

शेखावाटी का किसान आन्दोलन मूलरूप से शोषणमूलक जागीरदारी भूमि-व्यवस्था के खिलाफ था। शेखावाटी के किसान को जिस आर्थिक संरचना के खिलाफ लड़ना था, वह अत्यधिक जटिल थी। उसमें ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से लेकर राजा, ठिकानेदार, सामंत, भूमिपति, छोटे-छोटे भौमियां आदि शोषकों की श्रृंखला शामिल थी। गागर में सागर भरने वाली यह पुस्तक पेज दर पेज कृषक वर्ग के दर्द और वेदना को व्यक्त करती है और ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के चेहरों को प्रस्तुत करती है जिनको संघर्ष ने असह्य पीड़ा की भट्टी में झोंके रखा। इसमें अनेकानेक उन स्थानीय और बाहरी नेताओं व पथप्रदर्शकों के योगदान को आलोकित किया गया है जिन्होंने शेखावाटी में मुक्ति संग्राम को साहसिक और निर्णायक रूप दिया।

पुस्तक के प्रारंभ में इतिहासकार ठाकुर देशराज स्पष्ट करते हैं कि शेखावाटी के किसान तीस वर्ष के घोर कष्टमय संघर्षों के बाद मुक्त हुए। कब और कैसे उनको क्या-क्या मुसीबतें संघर्षकाल में उठानी पड़ीं, यही इस पुस्तक में है। आन्दोलन की बुनियाद में कौन लोग थे, इसमें संस्थाओं, गैर-राजनीतिक संगठनों और जन जागरण व किसान आन्दोलनों की क्या भूमिका थी, इसको सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तक की भूमिका राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता सरदार हरलालसिंह ने लिखी है जिनकी गिनती वर्तमान शेखावाटी के निर्माताओं में होती है और वे शेखावाटी किसान आन्दोलन में अग्रणी पंक्ति के जननेता रहे हैं। वे उस दौर का आंखों देखा हाल इन शब्दों में बयां करते हैं : 'सन् 1920 के आसपास शेखावाटी की जनता में और खासकर किसान वर्ग में एक बेचैनी थी। उस समय सामंती हुकूमत के अत्याचारों से जनता परेशान थी। राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। यदि कोई कुछ कहने की हिम्मत भी करता था तो उसे उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ता था। समय बड़ा भयंकर था। किसी की भी इज्जत-आबरू सुरक्षित नहीं थी। चोरी करवाना, डाका डलवाना, हिरासत में रखना आदि तो मामूली सी बातें थीं। जागीरदारों के लठैत किसानों के साथ असभ्य ढंग से पेश आते थे। मामूली सी बात पर उन्हें गांव छोड़ देने का हुक्म दिया जाता था।'

सरदार हरलालसिंह स्पष्ट करते हैं कि उस समय खेती पर पूर्णतया निर्भर जाट जाति का शोषितों की पंक्ति में पहला स्थान था। शेखावाटी का जन-आन्दोलन मुख्यत: किसान जागृति का ही रूपांतर था। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह आन्दोलन विशुद्ध किसान आन्दोलन ही माना जाना चाहिए।

'शेखावाटी की जन-जागृति का वास्तविक रूप क्या था' इस शीर्षक से पुस्तक का परिचय लिखने वाले 'दैनिक हिन्दुस्तान' से जुड़े तत्समय के प्रख्यात पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार भी यही मानते हैं कि शेखावाटी का जन-आन्दोलन मुख्यत: किसान जागृति का ही रूपांतर था। क्रूरता के उस कालखंड का चित्रण सत्यदेव विद्यालंकार ने इन शब्दों में किया है : ''अन्याय, अत्याचार तथा ज्यादती की दमन नीति की रोमांचकारी दारुण कहानी शेखावाटी के कण-कण पर लिखी हुई है, जिसका निर्दय शिकार निरीह किसान को बनाया गया .... खड़ी खेती कटवा लेना, बंधे हुए पशु खुलवा लेना, घर गृहस्थी के बर्तन व अन्य सामान हड़प लेना और किसान की मुशकें कसवा लेना* सामान्य बात थी। उसकी दाढ़ी में आग लगा देना और उसको भूमि से बेदखल कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी . ... ठाकुरों और छुटभइयों की तांडव लीला किसान की छाती पर चौबीसों घंटे होती रहती थी। इस घोर अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध पैदा हुई जन-जागृति का ही दूसरा नाम है शेखावाटी का 'किसान आन्दोलन'।''

ठाकुर देशराज द्वारा लिखी गई पुस्तक आठ अध्यायों और तीन परिशिष्टों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में शेखावाटी किसान आन्दोलन की कहानी को कालक्रम से चार चरणों में विभक्त किया गया है। द्वितीय अध्याय में शेखावाटी की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का परिचय दिया गया है। शेखावाटी की सर्वांगीण उन्नति में जिन संस्थाओं और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान रहा है, उन सबका स्मरण करते हुए उनकी सराहना की गई है। शिक्षा के लिए दान में शेखावाटी के सेठ शिखर पर रहे हैं। यहां के सेठ-साहूकारों ने शिक्षा के महत्त्व को समझा व विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा का अलख जगाया। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि 'शेखावाटी के ये बनिए जहां व्यापार करने में कुशल व धैर्यवान हैं, वहां उन्होंने अपने इलाके को जगाने में भी धैर्य से काम लिया .... ठिकानेदारों ने उनकी जेबों पर भी हाथ साफ किए, चाहे वे कस्टम वसूली के रूप में रहे हों, चाहे भेंट अथवा उपहार के रूप में किन्तु उसे भी उन्होंने सहन किया और एक अच्छा अवसर लाने की कोशिश में वे बराबर लगे रहे।'

पुस्तक के तृतीय अध्याय में शेखावाटी की जागृति का क्रमिक इतिहास पढ़ने को मिलता है। ठाकुर देशराज स्वीकारते हैं कि इस जन-जागृति में प्रथम विश्व युद्ध में शेखावाटी से जो लोग फौज

* मुशकें कसवा लेना यानी किसी व्यक्ति की दोनों भुजाओं को पीठ की ओर रस्सी आदि से बांधना ताकि वह अपने हाथों को हिला न सके।

में भर्ती होकर भारत के बाहर के मुल्कों में युद्ध में भाग लेकर घर लौटे तो एक नई जिंदगी और सोच लेकर लौटे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने, समाज सेवा करने और जाति को ऊंचा उठाने के कामों में तन-मन-धन सभी से सहयोग किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन की गूंज भी शनैः शनैः शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचने लगी थी।

चतुर्थ अध्याय में 'दमन-दावानल' शीर्षक से ठिकानेदारों-जागीरदारों की नादिरशाही को उजागर करते हुए उनके द्वारा लाग-लगानों की उगाही के लिए अपनाए गए अत्यंत कठोर और लज्जास्पद तरीकों के दृष्टान्त दिए गए हैं। उनकी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है।

रियासतकालीन राजस्थान में सत्ता के पिरामिड पर सबसे ऊपर अंग्रेजी शासन, उनके नीचे राजा-महाराजा और फिर उनके नीचे जागीरदारों की सत्ता कायम थी। तिहरी दासता से ग्रस्त एवं त्रस्त किसान दुर्दशा के शिकार थे। शेखावाटी में अधिकांश किसान जाट जाति से थे तथा अधिकांश कृषि भूमि को वही जोतते थे। इसलिए ऊंची दर पर लगान, लाग-बाग, बेगार आदि का बोझ सबसे ज्यादा उन पर ही पड़ता था। ठिकानेदार और जागीरदार हद पार करते हुए किसानों का आर्थिक शोषण तो करते ही थे, साथ में इन्हें अपने से नीचा भी समझते थे तथा इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यह भी बताया गया है कि कैसे किसानों की कड़ी मेहनत और कमाई से ठिकानेदारों-जागीरदारों का पोषण होता था। ठिकानेदार के कारिंदे जब कुड़की करने पहुंचते थे तो गांव में कैसे कोहराम मच जाता था, उसका वर्णन भी किया गया है।

सन् 1930 में शेखावाटी के जाट किसानों में जो सामूहिक रूप से जागृति का काम आरंभ हुआ, उसका समुचित उल्लेख पंचम अध्याय 'नया मोड़' में किया गया है। षष्ठम अध्याय में आन्दोलन के सत्याग्रह और दमन पक्षों को उजागर किया गया है।

शेखावाटी में जागृति के सुनहरे प्रभात की किरणों के फैलने की कहानी का सारांश सप्तम अध्याय 'स्वर्ण प्रभात' के अंतर्गत किया गया है। सर्वविदित है कि नई सोच की कोख से नया सवेरा जन्म लेता है। सन् 1925 में पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो वार्षिक उत्सव हुआ, उसमें भाग लेने के बाद शेखावाटी के किसानों ने अपना वास्तविक रूप पहचान लिया कि वह पालत्या (आश्रित) नहीं, पालक हैं। 'वह भी सिंह है और वह भी एक दिन अपने इलाके अथवा देश का मालिक हो सकता है। मालिक बनने और बनाने का अधिकार उसके भी हाथ में है।'

शेखावाटी के किसान पुष्कर से दो व्रत लेकर लौटे। प्रथम व्रत, समाज सुधार, जिसके तहत कुरीतियों को मिटाना एवं शिक्षा-प्रसार करना। दूसरा व्रत, 'करो या मरो' का था जिसके तहत किसानों को अपने हकों के लिए जागृत करना। इसके बाद तो जगह-जगह पर संगठन खड़े होने लगे, छोटे-मोटे जलसे होने लगे, स्कूलें खुलने लगीं, प्रचार के लिए भजनोपदेशकों की टोलियां तैयार की गयीं। जागरूक किसानों ने अब जागीरदारों की जंग लगी तलवारों का जवाब किताबों में खोजना शुरू किया।

सन् 1932 में झुंझुनू में जाट महासभा का शानदार अधिवेशन सम्पन्न हुआ। किसानों के जलसों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में जनवरी 1934 का सीकर में आयोजित महायज्ञ सबसे प्रमुख है। किसानों की गतिविधियां बढ़ने लगीं तो उन पर उत्पीड़न के हर प्रकार के तरीके अपनाये जाने लगे, गिरफ्तारियां की जाने लगीं। किसानों ने अत्याचार का सामना करने के लिए संगठन का मार्ग अपनाया और उनमें कुछ कर गुजरने की भावना भी प्रबल हो गयी।

अन्ततः देश आजाद हुआ। वह कालखंड न केवल शेखावाटी की दृष्टि से बल्कि संपूर्ण भारत में गहरे उथल-पुथल का दौर था। रियासतों में भारी असंतोष शासन के प्रति देखने में आया। हालात के और विषम हो जाने पर राजा और प्रजा उत्पीड़क और उत्पीड़ित के प्रतीक बन गए। रियासतें

अस्ताचल की ओर जा रही थीं तथा अंततोगत्वा उन्हें अपने अस्तित्व को खोना पड़ा। राजस्थान के एकीकरण की नींव पड़ने और सन् 1950 में वृहत राजस्थान बनने का उल्लेख भी इस पुस्तक में है।

ठाकुर देशराज लिखते हैं कि सन् 1950 में कांग्रेस के अंदर जितनी भी जान थी उसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थानी किसान कार्यकर्ताओं व नेताओं की बदौलत था। इसी का नतीजा था कि सन् 1952 के चुनाव में राजस्थान जैसे प्रांत में जो प्रतिक्रियावादियों का गढ़ है, कांग्रेस की सरकार बनना संभव हो सका।

पुस्तक का अंतिम अध्याय 'दु:खद और आश्चर्यजनक घटना' शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस तथ्य को आलोकित किया गया है कि कैसे रियासतों के एकीकरण से 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण होने के कुछ सालों बाद तक और यहां तक कि कांग्रेस का शासन स्थापित हो जाने के उपरांत भी जागीरदारों ने किसानों पर क्रूर व आतंकपूर्ण कार्रवाइयां जारी रखीं। जागीरी प्रथा की समाप्ति के लिए चल रहे राजनीतिक आन्दोलन को कुचलने हेतु जागीरदारों ने कई हथकंडे अपनाए। कहा भी जाता है कि बुझता हुआ दीपक बहुत फड़फड़ाता है।

पैशाचिक कृत्यों से भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न करने की कड़ी में 13 मई 1952 को दिन-दहाड़े किसान नेता, गांधीवादी विचारक व वकील करणीराम मील (भोजासर, झुंझूनू) एवं उनके रिश्तेदार रामदेवसिंह गिल (गिलों की ढाणी-उदयपुरवाटी) की जागीरदारों के गुंडो द्वारा की गई हत्या को ठाकुर देशराज ने सर्वाधिक दु:खद और आश्चर्यजनक घटना के रूप में दर्ज किया है। इस जघन्य हत्याकांड पर वे लिखते हैं कि अपनी जनता को जनता द्वारा अर्थात उन्हीं के वोट पर, यही क्यों, उनके बल पर और कौशल पर बनी हुई सरकार की मौजूदगी में दिनदहाड़े और पुलिस के रहते उनके दो नौजवानों की अत्याचारियों द्वारा हत्या कर दी गई।

बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोनों किसान नेताओं के सीने पर लगी गोलियां सीना चीरते हुए जागीरी प्रथा के पेट में जा घुसी। किसानों के बढ़ते आक्रोश के कारण सरकार को हरकत में आना पड़ा। जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई। जमीन का बन्दोबस्त हुआ। लगान की शरह कायम होकर किसानों को जमीन के पर्चे-खतौनी मिले। अंतत: किसान जमीन का मालिक बना। एक सम्मानजनक जीवन का भोर हुआ।

ठाकुर देशराज ने अपनी पुस्तक के परिशिष्ट-1 में शेखावाटी के नरमेध यानी नरसंहार की चर्चा करते हुए हनुमानपुरा (दुलड़ों का बास) के ठिकानेदार द्वारा हमला कर आग लगा देने की घटना सहित अन्य गांवों में जागीरदारों और उनके कारिंदों के जुल्मों का विवरण दिया है। परिशिष्ट-2 में सेठ-साहूकारों द्वारा चलने वाली शिक्षा संस्थानों को 'प्रकाश स्तंभ' के नाम से याद किया गया है। परिशिष्ट-3 में जागृति और समृद्धि की ओर गतिमान शेखावाटी के निर्माण में जिन लोगों ने अपने को खपा दिया अथवा जिनका जीवन ही शेखावाटी के हित के लिए दान हो चुका है, ऐसे बीस से ऊपर महापुरुषों के बारे में संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित विवरण पढ़ने को मिलता है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन-वृत्तांत (किसी पर छोटे और किसी के विस्तार लिए हुए) प्रस्तुत करके लेखक ने पुस्तक को कई गुणा मूल्यवान बना दिया है।

मूल्यांकन

इतिहास लेखन एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत साक्ष्यों की उपलब्धता, उनकी पारस्परिक परिपुष्टि, तथ्यों का नीर-क्षीर परीक्षण, कल्पना-प्रसूत विन्यासों, सत्तानिष्ठ प्रयोजनों, साक्ष्य-रचयिताओं के मानसिक आग्रहों तथा व्याख्याकारों की प्रच्छन्न विचार-आस्थाओं की पहचान आदि स्तरों के संश्लेषण-विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया से विगत काल के यथार्थ को रूपायित करने

का प्रयास किया जाता है। इतिहास लेखन का निर्विवाद रूप से स्वीकृत उद्देश्य है – अतीत के घटनाक्रम का यथासंभव सत्य निरूपण।

वास्तविक घटित इतिहास एक वृहत्तम इकाई है और ज्ञात इतिहास उसका न्यूनांश है। इतिहासकार का अभीष्ट है कि ज्ञात इतिहास, जिसकी वह पुनर्रचना करता है, वास्तविक घटित इतिहास का प्रतिबिम्बन करे। इतिहासकार के लिए यह बड़ी चुनौती है।

आंखों देखी सांच सबसे बड़ी सांच होती है। प्रस्तुत पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें शेखावाटी किसान आन्दोलन की सिलसिलेवार कहानी हमें प्रथम स्रोत (आन्दोलन में अगुवा रहे व्यक्ति) की कलम से लिखी हुई पढ़ने को मिल रही है। आन्दोलन के साक्षी रहे और उसकी प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक बिरली ही मिलती हैं। दूर से देखी हुई आजादी की लड़ाई को बताना एक बात है और उस लड़ाई में सिपाही से सेनापति तक की भूमिका निभाते हुए उसका वर्णन करना बिल्कुल ही दूसरी बात। इसीलिए प्राथमिक स्रोत शोधकर्ता को किसी ऐतिहासिक घटना या समय अवधि के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसकी सच्चाई के जितना संभव हो सके करीब पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।

पुस्तक में इतिहास में स्थितियों के विकास के साथ भयानक कठिनाइयों से जूझते संघर्षरत मेहनतकश किसान की तस्वीर उभरती है। सही इतिहास उन अंतर्विरोधों और संघर्षों को भी उजागर करता है जो इतिहास को आकार देते हैं और सामाजिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठाकुर देशराज अपनी पुस्तक में शोषक और शोषित के परस्पर द्वंद्व-सम्बन्ध, उनकी आपस में एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया को भी उजागर करते हैं। पुस्तक में समय और समाज, राजनीति और व्यवस्था के कूट रहस्यों का अनावरण है।

इतिहास को देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने का हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है। ठाकुर देशराज पेशे से पत्रकार हैं तो तथ्यों की पड़ताल करना उनकी फितरत है। इस पुस्तक को आकार देने के लिए उन्होंने तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी आर्डिनेंस तथा दस्तावेजों को संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया है। इन संदर्भों से पुस्तक अपनी प्रामाणिकता की स्वर्णिम आभा असंदिग्ध रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर बिखेर रही है।

किसान आन्दोलन की उर्वर भूमि रहे शेखावाटी के किसानों के संघर्ष की जीत को आलोकित करने वाली ठाकुर देशराज की पुस्तक सधी हुई भाषा में लिखी हुई है। लेखन में शब्दों की धार यूँ तो सहजता को निभाती चली है, किन्तु मार्मिक स्थलों पर धार नुकीली भी हो जाती है, धनुष की टंकार हो जाती है। भाषा की दृष्टि से हिंदी का प्रवाह मुहावरेदार है और पाठकों को अपने आकर्षण से बांधकर चलता है। धारा प्रवाह पढ़ते जाइए, पूरे हालात खुद-ब-खुद स्पष्ट होते जाएंगे।

इतिहास जानना-समझना क्यों जरूरी है

जब से मनुष्य चेतनशील हुआ है, वह अपने अतीत में जहां उसके वर्तमान के स्रोत हैं, उसमें दिलचस्पी लेता रहा है। इतिहास एक ऐसा झरोखा है जिससे अतीत के अंदर झांककर यह सीखने को मिलता है कि आज का वर्तमान कैसे बना। इतिहास पढ़ने से हम वर्तमान के उद्‌भव एवं विकास के कारणों एवं विभिन्न चरणों का पता लगा सकते हैं। हम जान सकते हैं कि वर्तमान समाज, धर्म, राजनीति और आर्थिक क्रियाकलापों का रूप आज जो भी है वो ऐसा क्यों है और किन पड़ावों से होकर गुजरा?

इतिहासकार जो घटित हुआ है, उसका वृतांत प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसके घटित होने के कारणों को ढूंढता है। इतिहास के माध्यम से हम बीते हुए समय के सामाजिक, राजनीतिक,

आर्थिक, धार्मिक परिवेश से परिचित हो पाते हैं। इतिहास का अध्ययन करना परिवर्तन का अध्ययन करना है।

इतिहास का अध्ययन महज अतीत का अध्ययन ही नहीं है बल्कि वर्तमान का अतीत से संवाद स्थापित करने का प्रयास है। अतीत के आधार पर ही हमारा वर्तमान बनता है और वही हमारे भविष्य का आधार है। इतिहास केवल अतीत की कहानी ही नहीं, बल्कि यह हमारे लिए क्रमिक परिवर्तन को समझने में सहायक होता है।

'इतिहास का उद्देश्य लोगों को प्रतिशोध के लिए प्रेरित करना नहीं है, न ही पिछले आक्रान्ताओं के अत्याचार का प्रतिशोध के लिए उकसाना है, न अतीत की गौरवगाथा में इतना आमग्न ही करना है कि वर्तमान की क्षमता ही सिकुड़ जाय। इतिहास देशकाल की ऐसी समझ है, जो मनुष्य को उसकी शक्ति से परिचित कराये और उसकी स्वतन्त्रता सुनिश्चित करती रहे।' डॉ. विद्यानिवास मिश्र के इस कथन के मर्म को वर्तमान संदर्भों में समझने की जरूरत है।

इतिहास प्रतिबिंब है (इतिहासकार की दृष्टि से) तदयुगीन परिस्थितियों का, परिवेश का, समाज का और वृहत्तर स्तर पर राष्ट्र का। इतिहास विगत का दस्तावेज मात्र नहीं बल्कि विगत की भूलों से बचने का सबक सिखाने वाला जीता-जागता पथ-प्रेरक होता है। इस संदर्भ में मुजफ्फर रज्मी का यह शेर उद्धृत करना प्रासंगिक होगा :-

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।

इतिहास हमारे वर्तमान के लिए परिप्रेक्ष्य और भविष्य के लिए दृष्टि देता है। इस प्रकार एक ओर इतिहास से सबक लेने की बात सच है तो दूसरी ओर गलत सबक लेने की बात भी सच है और सबसे ज्यादा तो सच यह है कि हीगेल के अनुसार, 'इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता।'

सबाल्टर्न हिस्ट्री (Subaltern History)

इतिहास की एक ऐसी टेपेस्ट्री की कल्पना करें जो राजाओं, रानियों और रियासतों व साम्राज्यों की कहानियों को दर्शाने वाले धागों से बुनी गई हो। अब, एक अलग टेपेस्ट्री की कल्पना करें, जो हाशिये पर धकेले गए समूहों (जैसे कि किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाओं) पर केंद्रित है जिन्होंने समाज के ताने-बाने में जमीनी स्तर पर काम किया और योगदान दिया। सबाल्टर्न अध्ययन जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का इतिहास विनिर्मित करने की प्रविधि है। इतिहास के अध्ययन में शासक वर्ग के साथ मेहनतकश जनता के जीवन-संघर्ष और संस्कृति सभी का अध्ययन शामिल होना चाहिये ताकि इसी से इतिहास निर्मात्री जनता और इतिहास के द्वंदात्मक विकास में निहित संघर्ष का अता-पता मिल सके। इतिहास का लेखन व पुनर्लेखन हमेशा प्रभु वर्ग के राजनीतिक एवं विचारधारात्मक हितों को साधने के लिए होता रहा है। हाशिये के वर्ग के संघर्ष अक्सर हाशिये पर ही रहे। यह किताब हाशिये के उन्हीं संघर्षों का शानदार दस्तावेज है।

परंपरागत इतिहास जन-इतिहास नहीं है, व्यक्ति प्रधान या घटना प्रधान है। इतिहास और अधूरा सच पर भी बात की जानी चाहिए। क्या सत्ता का ही इतिहास होता है? जनता का इतिहास नहीं होता? राजा का गुणगान बढ़-चढ़कर किया जाता है, लेकिन उसकी अय्याशी और उसने स्वेच्छाचारिता से प्रजा का जो शोषण व दमन किया, उस पर कलम चलाने से परहेज किया जाता है। अत: हमें इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इतिहास में किसकी कहानियां बताई जाती हैं और किसकी कहानियां छोड़ दी जाती हैं। बतौर उदाहरण, अमुक महल अमुक राजा ने बनवाया था, परन्तु क्या यह

पूरा सच है? किसी ने कुछ बनवाया, या किसी चीज का निर्माण करवाया – ऐसा कहने में बनाने की क्रिया भी छिप गई और उपादान कारण भी छिप गए। सोचिए कि राजा ने जबान हिलाने के अलावा और क्या किया? महल के वास्तुकार, राजमिस्त्री, निर्माण कार्य में लगे श्रमवीर तो दूसरे लोग थे। सारा काम तो श्रमवीरों और शिल्पियों ने किया। श्रम और धन-शक्ति तो प्रजा की थी। राजा की सिर्फ जबान थी। 'बनवाया' क्रिया- शब्द पर जोर देकर सारा सच छिपा लिया और अधूरे सच का इतिहास बना दिया। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ की ऊंची चोटी दिख रही है किन्तु उसकी जड़ नहीं दिख रही है, जबकि पेड़ का जीवन जड़ में निहित है। हम अधूरा सच बार-बार कह देते हैं और बाकी के सच को छिपा जाते हैं। सामान्यजन की भूमिका को नकारना सच को नकारना है। जन इतिहास उस अधूरे सच की खोज करता है और सामान्यजन की भूमिका को केंद्र में प्रतिष्ठित करता है। वह स्थापित करता है कि केवल राजा ही महल की रचना करने वाला नहीं है।

मुक्ति आन्दोलन में सामान्यजन ने भाग लिया था। लाठी-गोली खायी थी सामान्य जन ने। जेल गया था सामान्यजन। लेकिन मुख्यधारा के इतिहास में सामान्यजन की कोई चर्चा नहीं? इसी कमी को पूरा करने के लिए जन इतिहास का लेखन अब समय की मांग है।

संपादित पुस्तक का समृद्ध स्वरूप

सन् 1961 में प्रकाशित हुई ठाकुर देशराज की बहुचर्चित कृति 'शेखावाटी के जन जागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक' बरसों से अनुपलब्ध थी। शेखावाटी किसान आन्दोलन के बारे में व्यापक अध्ययन के बलबूते पर इसकी गहन समझ रखने वाले और इतिहास पर कई पुस्तकों का लेखन-संपादन कर चुके अरविन्द भास्कर और डॉ. देवेन्द्र कुल्हार को यह दुर्लभ पुस्तक हस्तगत करने हेतु खूब भटकना पड़ा है। इन दोनों समर्पित शोधार्थियों ने इस पुस्तक का समुचित सम्पादन कर इसे पुनः मुद्रित करवाया है। मूल पुस्तक में रही किंचित मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों को इनके द्वारा दुरुस्त किया गया है, घटनाओं से जुड़े विवरण को सुस्पष्ट करते हुए जरूरी फुटनोट और अंत में व्यापक संपादकीय परिशिष्ट जोड़े गए हैं। ये सब अतिरिक्त जानकारी, संदर्भ या स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं और पुस्तक के मुख्य पाठ को और अधिक उपयोगी और गहराई से समझने में मदद करते हैं। कुशलता से संपादित यह पुस्तक शेखावाटी किसान आन्दोलन के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वानों, शोधकों एवं सामान्य रुचि के पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सम्पादक द्वय का यह ऐतिहासिक अवदान सर्वथा स्पृहणीय है।

व्यापक संपादकीय परिशिष्ट

हर कालखंड अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है, जिसे इतिहासकार स्रोत या सबूत कहते हैं। ऐतिहासिक शोध की व्यवस्थित समझ विकसित करने और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इतिहासकार प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से साक्ष्य (जिसमें तत्समय के अखबारों में छपे समाचार, रिपोर्ट, लेख, व्याख्याएं, राय, नामचीन हस्तियों के संस्मरण, कथन, डायरियां, पत्र, तार, घोषणाएं, सरकारी दस्तावेज आदि शामिल हैं) एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हुए विगत काल के यथार्थ को रूपायित करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के शोध में समाचार-पत्रों में छपे समाचार और घटनाक्रम का विवरण महत्त्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत (मूल स्रोत) माने जाते हैं, जो किसी घटना के समय, स्थान, परिस्थितियों और टकराव के पीछे छुपे कारणों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

प्राथमिक स्रोतों को ढूंढना और हस्तगत करना दुरूह कार्य होता है, जिसे सम्पन्न करने में सम्पादक द्वय को खूब दौड़-धूप करनी पड़ी है। संग्रहालयों, अभिलेखागारों और पुराने छापेखानों की सालों तक खाक छानने का प्रतिफल है कि आज उनके पास शेखावाटी किसान आन्दोलन से जुड़ा

प्राथमिक स्रोत का समृद्ध संकलन मौजूद है। इसी का सुपरिणाम है कि वे इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में समादृत हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय अखबारों-पत्रकारों की एक अलग पहचान-नैतिक आभा थी। वे देश की धड़कन, मिट्टी और जड़ से जुड़े हुए थे। शेखावाटी किसान आन्दोलन के दौरान पं. ताड़केश्वर शर्मा ने 1929 ई. में हस्तलिखित अखबार 'ग्राम समाचार' आरम्भ किया। 'अर्जुन', 'गणेश', 'लोकमान्य', 'विश्वमित्र', 'नव राजस्थान' आदि अखबारों ने किसान आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, वहीं द स्टेट्समैन और हिन्दुस्तान टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक शेखावाटी के किसानों और ठिकानेदारों की जंग को पहुंचा दिया था। शेखावाटी किसान आन्दोलन से जुड़े समाचार, घटनाक्रम का विवरण, विवेचनात्मक रिपोर्ट, राष्ट्रीय आन्दोलन की अगुवाई करने वाले राजनेताओं व संगठनों द्वारा व्यक्त की गईं प्रतिक्रियाएं, लेख आदि भी इस पुस्तक में जोड़े गए हैं।

संपादकीय परिशिष्टों के रूप में कालानुक्रमिक डेटा जस का तस पाठकों और शोधार्थियों हेतु बतौर प्राथमिक स्रोत प्रस्तुत करने का श्लाघनीय कार्य किया गया है। इन प्राथमिक स्रोतों में दी गई जानकारी का विश्लेषण, संश्लेषण और व्याख्या करके कोई भी शोधकर्ता इनसे द्वितीयक स्रोत बना सकता है।

संपादित पुस्तक के अंतिम भाग में 'विविध लेख' शीर्षक से जोड़े गए प्रथम संपादकीय परिशिष्ट में समकालीन अखबारों में छपे ऐसे लेख खास तौर पर सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें राजस्थान के जाटों के रस्म-रिवाज पर समुचित दृष्टिपात किया गया है। इसी में समाविष्ट अन्य लेखों और समाचारों को पढ़ने से जाट आन्दोलन के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां प्राप्त होती हैं। द्वितीय संपादकीय परिशिष्ट मुख्यत: शेखावाटी किसान आन्दोलन के प्रारंभिक दौर पर केंद्रित है और उसके बारे में तत्समय के अखबारों में छपी खबरों को हूबहू क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। संपादकीय परिशिष्ट-3 में सन् 1932 में झुंझुनू में आयोजित जाट महोत्सव के बारे में अलीगढ़ से प्रकाशित साप्ताहिक अखबार 'जाटवीर' में छपी प्रमुख खबरों को यथावत प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि ठाकुर देशराज द्वारा लिखित मूल पुस्तक का लोकार्पण शेखावाटी के जुझारू किसान नेता करणीराम मील और रामदेवसिंह गिल के बलिदान दिवस पर हुआ था, अत: इस संपादित पुस्तक के संपादकीय परिशिष्ट-4 में उस बेजोड़ जुगल-जोड़ी के संघर्ष और बलिदान का जीवंत चित्रण करने वाला एक विस्तृत लेख जोड़ा गया है। डॉ. देवेन्द्र कुल्हार ने मूल पुस्तक के लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व को आलोकित करते हुए 'ठाकुर देशराज : शेखावाटी में जन जागरण का अग्रदूत' शीर्षक से एक पठनीय आलेख लिखा है, जिसको संपादकीय परिशिष्ट-5 के रूप में जोड़ा गया है। यह आलेख ठाकुर देशराज के जीवन और शेखावाटी में उनके अवदान का एक दीप्तिमान वर्णन है।

प्रस्तुत पुस्तक के अंत में संपादकों द्वारा जोड़े गए पांच विस्तृत संपादकीय परिशिष्ट इसको समृद्ध स्वरूप प्रदान करते ही हैं, साथ में इसकी उपादेयता में कई गुना बढ़ोतरी करने वाले हैं। इनको जोड़ने का उद्देश्य पुस्तक की मूल्यवत्ता और अर्थवत्ता बढ़ाना है। इन परिशिष्टों में सूचनाओं का ऐसा भंडार है जो शेखावाटी किसान आन्दोलन का विस्तृत और व्यापक इतिहास उपलब्ध करवाता है। अतिरिक्त सामग्री व संदर्भ प्रदान करने वाले ये परिशिष्ट निस्संदेह शेखावाटी किसान आन्दोलन के इतिहास पर शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। इनमें आन्दोलन से जुड़े घटनाक्रम की वे तमाम जानकारियां मिल सकेंगी जो कि संक्षिप्त रूप में पूर्व में प्रकाशित पुस्तक में समाहित नहीं थीं।

शेखावाटी किसान आन्दोलन पर अनगिनत पुस्तकें और शोध प्रबंध प्रकाशित हो चुके हैं, निस्संदेह आगे भी होते रहेंगे। संघर्ष का यह आख्यान इतना व्यापक और हर दौर में इतना प्रासंगिक है

कि इस पर जितना ही लेखन और पुनर्पाठ हो, कम ही होगा। यह संपादित पुस्तक सुधि पाठकों को उनके अध्ययन, विश्लेषण और शोध के लिए विविध आयाम उपलब्ध करवा सकेगी।

प्रस्तुत संपादित पुस्तक के अध्ययन से न केवल शेखावाटी किसान आन्दोलन का ज्ञान होगा, वरन् गहराई में जमीं अपनी उन जड़ों को देखने का भी अवसर प्राप्त होगा, जिस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका है। आज हम आजादी की खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, पुरानी पीढ़ी को अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी है। हमारे पुरखों ने राजशाही, सामंतशाही और अंग्रेजी शासन के तिहरे शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़कर मुक्ति की इबारत लिखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। इन महान पुरखों के तप, त्याग और बलिदान की बदौलत फैली समृद्धि की सुरभि का सुख आज की युवा पीढ़ी भोग रही है। लेकिन वह वर्तमान के कठिन प्रतिस्पर्धात्मक दैनिक जीवन में संघर्ष की समृद्ध विरासत और अतीत के प्रति बेरुखी दर्शाती है। इसी कारण उनमें सामाजिकता की भावना का लोप होने लगा है। यह स्थिति चिंताजनक है।

जनरेशन जेड (जेन जेड - सन् 1997 और 2010 के बीच पैदा हुए बच्चों की पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के साथ बड़ी हुई है) तथा जनरेशन अल्फा (जेन अल्फा - सन् 2010 के बाद पैदा हुए बच्चों की पीढ़ी) को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि पुरानी पीढ़ी के कड़े संघर्ष से अवगत हुआ जा सके।

शेखावाटी के जिन वीर सपूतों ने संघर्ष की शिलाएं स्थापित करके अपनी धरा का एक प्रतापी चेहरा बनाया है, उनके लिए चकबस्त ब्रिज नारायण का वो शेर एकदम मौजूँ है जो शहीद-ए-आजम भगतसिंह के दिल के बेहद करीब था :-

उन्हें ये फिक्र है हर दम नई तर्ज-ए-जफा क्या है
हमें ये शौक है देखें सितम की इंतिहा क्या है
(तर्ज-ए-जफा = अत्याचार का तरीका)

शेखावाटी की धरती को अपने संघर्ष और रक्त से सिंचित कर इसको समृद्ध विरासत की स्वर्णिम आभा प्रदान करने वाले किसान जननायकों के प्रति गर्व से हमारा सिर ऊंचा होना स्वाभाविक है।

प्रो. हनुमाना राम ईसराण
पूर्व प्राचार्य, राजकीय श्री कल्याण कॉलेज, सीकर
पूर्व सिंडिकेट सदस्य, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर
पूर्व प्रबन्ध मंडल सदस्य, एम.जी.एस. यूनिवर्सिटी, बीकानेर
एवं शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर

संपर्क :
बिजली बोर्ड के पास,
जयपुर रोड, चूरू (राज.) 33001
ई-मेल : hrisran@gmail.com

नमूने के रूप में पढ़े पुस्तक का एक हिस्सा

10. परिशिष्ट (1)
शेखावाटी के नरमेध

यह सारा विवरण फीका रह जायगा यदि हम शेखावाटी में हुए नरमेधों की चर्चा को छोड़ दें। नरमेधों का विवरण हमारे पास पूरा नहीं है। सन् 1930 से पहले वहां क्या-क्या हुआ और कौन-कौन किसान कहां-कहां मारे गए? इसका तो कोई भी रिकार्ड हमारे पास नहीं है। हम केवल सन् 1930 से इधर की दुर्घटनाओं को लेते हैं।

संवत् 1991 (1934 ई.) की अक्षय तृतीया का दिन था। गर्म हवा चल रही थी कि शाम के पांच बजे बलरिया के ठिकानेदार कल्यानसिंह ने हनुमानपुरा (दुलड़ों के बास) पर हमला कर दिया और गांव में आग लगा दी। हवा के झौंकों से आग की लपटें बढ़ गई। गांव धांय-धांय करके जलने लगा। औरतों और बच्चों में कोहराम मच गया। 23 घर जल कर भस्म हो गए। दो गायें जल मरीं और अनेकों भेड़-बकरियां झुलस गईं। खैर इतनी हुई कि आदमी जिन्हें कि जलाने के लिए आग लगाई गई, सभी बच गये।[1]

इसके ठीक सवा महीने बाद जयसिंहपुरा गांव के किसानों को खेतों पर डूण्डलोद ठिकाने के मालिक हरनाथसिंह के छोटे भाई ईश्वरीसिंह ने जा घेरा, घोड़ों से घेरा दे लिया और गोलियों की वर्षा आरम्भ कर दी। भागने वालों पर लाठियों और बर्छों से वार किया गया। 50 सवार और 60 पैदलों ने 13 पुरुष, 8 स्त्रियों को बुरी तरह घायल किया और एक जान से मारा गया। बैल और ऊँट भी जख्मी होने से नहीं बचे। यह घटना शेखावाटी में आतंक का ज्वलन्त उदाहरण थी। यह घटना 21 जून 1934 अर्थात् आषाढ़ बदी 9 संवत् 1991 की है। इसमें चौधरी टीकूराम जान से मारे गए। दयालाराम, मोहनराम, दूलाराम, सूरजमल, नारायणसिंह, मोहरी देवी, जीवणी देवी, अणजी देवी आदि बंदूक, भालों और लाठियों से घायल हुए।[2]

इसी संवत् में जाड़े के दिनों में अर्थात् 17 दिसम्बर 1934 को पाकोड़ी की ढ़ाणी पर भौमियों ने हमला कर दिया। रात का समय था। 15-16 किसान खा-पीकर अपने मनोरंजन के लिए गा-बजा रहे थे कि 200 भौमियों ने अचानक हमला कर दिया। लाठियों की मार से सभी को जमीन पर लिटा दिया और घरों में घुस कर लूटपाट मचा दी। दो आदमी मरणासन्न हो गये। एक घंटे के गदर में उनका सब कुछ लूट लिया गया।[3]

27 मार्च 1935 को कैप्टन वेब सीनियर अफसर सीकर ठिकाना ने मय पुलिस दल के खुड़ी गांव पर हमला किया। फौजी ढंग से गांव का घेरा डाल कर लाठी चलाने का ऑर्डर दिया। गोली चलाने के बाद गांव की लूटपाट कराई। इस लाठी चार्ज में चार आदमी जान से मारे गये और 100 घायल हुए। घायल हुए लोगों में से एक शम्भूसिंह भूकर सीकर अस्पताल में आकर मर गया। चौधरी रतना को जबकि वे रास्ते से जा रहे थे, खुड़ी के भौमियों ने तलवार से सर काट कर मार डाला।[4]

28 मार्च 1935 को ठिकानेदारों के एक गिरोह ने जाटों की एक बरात पर हमला बोला। हमले का कारण यह बताया कि जाट दूल्हा घोड़े पर सवार था। इसमें 40 बराती सख्त घायल हुए। एक जान से मारा गया।

25 अप्रैल 1935 को कैप्टन वेब दीवान सीकर ने कूदन गांव पर हमला किया। फौज और पुलिस के जवानों को लूटपाट और गोली चलाने का हुक्म दे दिया। गांव बुरी तरह से लूट लिया गया। चार आदमी जान से मारे गये।[5] कैप्टन वेब ने अपनी रिपोर्ट में दो का मारा जाना और आठ का घायल होना स्वीकार किया था। इसके बाद गोठड़ा भूकरान की लूट वेब साहब ने अपनी उपस्थिति में कराई। यहां भी एक आदमी मारा गया।

संवत् 2003 के आसोज सुदी 10 को अर्थात् सन् 1946 के अक्टूबर में भाई की ढाणी में गोलीकाण्ड हुआ। इसमें तीन व्यक्ति श्री नोपाराम पुत्र जीवणराम, पेमाराम पुत्र हणूताराम, नानगराम पुत्र जैसाराम की घटनास्थल पर और लिखमाराम पुत्र खेताराम की जयपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। 28 व्यक्ति घायल हुए। घायलों में सुरजों, खमाणों, नारायणी, बिरूली, कानों, हीरों, मोहरली, बेगों, गुमानों और नरसों नाम की स्त्रियां भी थीं। इस नरमेध में लगभग 400 भौमिये तथा उनके गुंडे साथी शामिल थे। घोड़े, ऊंट सवार और पैदल सभी सशस्त्र थे। हत्याओं के सिवा जो आर्थिक नुकसान इस गांव की लूट में हुआ था, उसका अंदाज सरकार ने चालीस हजार लगाया था।[6]

इससे पहले बैसाख सुदी अष्टमी संवत् 2002 को देवगांव में लूटपाट और गोलीकाण्ड हो चुका था। किसान जांटी (छोकरा) काट कर लाये थे। इसी पर भौमियां लोगों ने गांव पर हमला बोल दिया था। बन्दूक, भाला और बर्छियों से 17 आदमी घायल हुए जिनमें तीन स्त्रियां भी थीं। चौधरी रूमका का लड़का गोविन्दा तथा कुशला पुत्र केशा जान से मारे गये। उनके गोली लगी थी। घायल होने वालों में लादू, हनुमान, रत्तू, टीकू, रूपा, आसू पुरुष और नारायणी, लच्छो, शिवकरी, अणची, रूपो नाम की स्त्रियों के नाम ज्ञात हो सके हैं। यहां पर गोठड़ा तथा मंडावरा के भौमियों ने हमला किया था।[7]

भादवा बदी सप्तमी सं. 2004 वि. *(7 सितम्बर 1947)* को हरलाल पुत्र पेमाराम को भाले से छेद कर मार डाला और लाश भी गायब कर दी। उसकी ढ़ाणी जो बिजोलिया के नाम से मशहुर थी, जला दी।[8]

होली के एक दिन पहले सं. 2005 वि. में हुकमपुरा पर गुढ़ा के भौमियों ने हमला किया। चौ. भूराराम को कत्ल कर दिया और गांव को लूट लिया। लूट में चक्कियों तक को उठा ले गये। स्त्रियों के शरीरों से अच्छे कपड़े और समस्त जेवर उतरवा लिये गये। जिस स्त्री ने हिम्मत नंगा न होने की की, उसे पीटा गया। इससे आठ साल पहले संवत् 1997 में बाजीसर गांव को इसी भांति लूटा गया था। यह लूटपाट और नरमेध बिसाऊ ठिकाने के कर्मचारियों द्वारा हुआ था। चौधरी घासीराम घटनास्थल पर ही मारा गया, हनुमानसिंह, भीमसिंह, फूलादेवी और जानकीदेवी सख्त घायल हुए।[9] इनके अलावा मंडावरा, दिलोई, मुकुन्दगढ़, चनाणा,[10] खिरोड़, जेजूसर, दुड़िया[11] आदि में भी हल्के नरमेधों के आयोजन हुए। यह बात अलग है कि कुछ स्थानों पर नरबलि नहीं दी जा सकी।

मारपीट और हमले की गुस्ताखी तो राजस्थान विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरोत्तमलाल जोशी और शेखावाटी के प्रसिद्ध दानवीर श्री भागीरथमल कानोड़िया के साथ भी हुई।[12] नवलगढ़ में चन्द्रसिंह जी के दादा को मारा गया। इसके सिवा महरोली के ठाकुरों ने भारणी में नवलराम के बेटे को मार दिया।[13] इस प्रकार की अनेकों घटनायें हैं जो ठिकानेदारों की ओर से हुई।[14] यह कहा जा सकता है कि लगभग 200 आदमियों को शेखावाटी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से बलिवेदी पर चढ़ाया गया और पांच आदमियों के हाथ-पांव, पीठ-कमर तथा सिर फोड़े गये और पांच लाख की सम्पत्ति का विनाश किया गया। इतने बलिदानों का ही नतीजा है कि आज शेखावाटी जीवित, जागृत, सावधान किसानों का इलाका समझा जाता है।

-: संदर्भ एवं टिप्पणियां :-

1. देखें : इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 37
2. देखें : इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 37-38
3. देखें : इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 78-80
4. खुड़ी की घटना का विस्तृत विवरण फतेहपुर वृत्त के इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह द्वारा 30 मार्च 1935 को बीकानेर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 'खुड़ी में जाटों और राजपूतों के बीच मारपीट' विषय पर भेजी गई निम्नलिखित रिपोर्ट से प्राप्त होता है :-

खुड़ी भौमिया खुर्द *(वर्तमान में खुड़ी छोटी)* और खुड़ी खालसा कलां *(वर्तमान में खुड़ी बड़ी)* इन दोनों गांवों की जनसंख्या एक-दूसरे में मिली हुई है। इन दोनों गांवों के मध्य एक कुआ और एक मन्दिर स्थित है। खुड़ी खालसा राज्य के अधीन है और इसका राजस्व सीकर सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, वहीं खुड़ी भौमिया का स्वामित्व लाडखानी राजपूतों के अधीन है और वे ही इस जमीन के मालिक हैं। खुड़ी भौमिया में 8-10 जाट परिवारों के अलावा शेष राजपूतों और अन्य जातियों के हैं, वहीं खुड़ी खालसा में सभी परिवार जाटों के हैं।

20 मार्च को खुड़ी खालसा गांव में लखुड़ा जाट की बेटी की शादी थी जिसकी बारात कूदन गांव से आई थी। उसी दिन खुड़ी भौमिया में खेता जाट के यहां भी बेटी की शादी थी जिसकी बारात जसरासर गांव से आई थी। इन दोनों मामलों में वर पक्ष के परिवारों ने कहा कि वे तोरण की रस्म दूल्हे को घोड़े की पीठ पर बैठा कर करना चाहते हैं। खुड़ी भौमिया के राजपूतों ने इसका विरोध किया और जाटों से कहा कि पुरानी परम्परा में कोई बदलाव नहीं होगा। जाट और राजपूत दोनों अपने-अपने इरादों पर अटल हो गए। वहीं खुड़ी खालसा गांव में विवाह घोड़े की पीठ पर तोरण मारने की परम्परा के साथ निर्विघ्न संपन्न हो गया। इस विवाद के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन गई कि खुड़ी खुर्द के दानसिंह राजपूत ने दूसरे राजपूतों को बुला लिया और तय किया कि जाट घोड़े पर किसी भी सूरत में तोरण की रस्म अदा ना कर पायें जबकि जाट घोड़े की पीठ पर दूल्हे को बिठाकर ही तोरण की रस्म अदा करने पर तुले हुए थे। हालांकि दूल्हे और दुल्हन के परिजन पुरानी परम्परा के अनुसार ही शादी समारोह सम्पन्न करने के लिए तैयार हो गए थे किन्तु सीकर इलाके के भैरूंपुरा गांव का ईशर जाट *(ईश्वरसिंह भामू)* जो कि जाट पंचायत का नेता भी था और रिश्ते में दूल्हे का मामा लगता था, और अन्य जाटों ने जिद कर ली कि जब खुड़ी खालसा में तोरण की रस्म घोड़े की पीठ पर बैठकर अदा की जा सकती है तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते; हमें दूल्हे को घोड़े की पीठ पर बैठाकर ही तोरण की रस्म अदा करनी है ताकि सभी गांवों में यह परम्परा प्रचलित हो सके। राजपूतों को हमें इससे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ईशर जाट ने आसपास के गांवों में यह सूचना भेजकर जाटों को इकठ्ठा होने के लिए बुला लिया, अत: राजपूत भी इकठ्ठा होने लग गये। राजपूत सीकर पहुंच गए और उन्होंने अधिकारियों को सूचित कर दिया कि जाट पुरानी परम्परा के विरुद्ध घोड़े पर बैठकर तोरण की रस्म अदा करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में गांव में इकठ्ठा हो रहे हैं। हमें डर है कि कहीं विवाद की स्थिति पैदा न हो जाए क्योंकि हम उन्हें घोड़े की पीठ पर तोरण की रस्म अदा नहीं करने देना चाहते। अत: 20 मार्च को सीकर से एक पुलिस टुकड़ी खुड़ी

पहुंची। फतेहपुर के ज्यूडिशियल ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाटों को आई.पी.सी. की धारा 144 के तहत नोटिस जारी किया। जाट खुड़ी खालसा में और राजपूत खुड़ी भौमिया में इकट्ठा होने लग गए। जाटों को छोड़कर अन्य जातियां भी जाटों की इस नौसिखिया मांग में जाटों के खिलाफ थीं।

21 मार्च तक लगभग 500-600 जाट और 400-500 राजपूत इकठ्ठा हो गए। सीकर के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास भी किया किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। राजपूतों ने स्वयं को बन्दूक, राइफल, तलवारों और लाठियों से लैश कर रखा था जबकि जाटों के पास बन्दूकें, तलवारें और लाठियां थीं। भीड़ में जाटों की महिलाएं भी शामिल थीं।

22 मार्च की सुबह लगभग साढ़े छह बजे 30-40 जाटों का एक समूह फकीरपुरा गांव से खुड़ी के जाटों का साथ देने पहुंचा। इस दल ने राजपूत दल के निकट पहुंचकर उद्घोष किया कि 'जाट वीर की जय'। इस पर कुछ राजपूतों ने भीड़ से बाहर निकलकर फकीरपुरा के रतना जाट की हत्या कर दी जो उपरोक्त दल के साथ खुड़ी आया था। हत्या की यह खबर सुनकर जाटों का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया और वे राजपूतों पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगे लेकिन समय रहते पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से टकराव टल गया। हत्या की खबर सीकर पहुंचने पर सीनियर ऑफिसर मि. वेब मौके पर खुड़ी पहुंचे और उन्होंने भीड़ को वहां से हट जाने का आदेश दिया।

यह भी पता चला है कि भरतपुर का रतनसिंह जाट जो जाट पंचायत का अध्यक्ष भी है, 22 मार्च को सीकर पहुंचा। वहां जब जाट उनसे मिलने पहुंचे तो कथित तौर पर उसने जाटों को उकसाया और कहा कि घोड़े की पीठ पर तोरण समारोह से जाटों को रोकने का राजपूतों के पास कोई अधिकार नहीं है और जाटों को यह समारोह सम्पन्न ना होने तक वहीं पर जमे रहने की सलाह दी। बताया जाता है कि रतनसिंह 24 मार्च को सीकर से चले गए। जाटों ने 'रतनसिंह की जय' के नारे लगाये।

सीकर के सीनियर ऑफिसर मि. बेब ने जाटों को सलाह दी कि वे पुरानी परम्परा के अनुसार ही समारोह करें, जैसा आज तक करते आये हैं; यदि वे समारोह को अन्य तरह (नए तरीका अर्थात् घोड़ी पर बैठकर तोरण मारना) से सम्पन्न करना चाहते हैं तो फिर उन्हें खुली अदालत में दावा पेश करना चाहिए और ऐसा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी चाहिए।

जाटों का जमावड़ा और आना-जाना 24 और 25 मार्च को पूरे दिन जारी रहा। हालांकि मि. बेब के आदेशानुसार राजपूत वहां से हट जरूर गये थे किन्तु वे भी कोटड़ियों में बड़ी संख्या में जमे हुए थे। 26 मार्च को मैंने देखा कि जाट खुले मैदान में फैले हुए हैं जबकि राजपूत कोटड़ियों और घरों में जमे हुए हैं। रतना जाट की हत्या के आरोप में राजपूतों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302/149 और 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर निम्नलिखित लोगों को सीकर पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया - भूरे खान, दान सिंह, रावत सिंह, बीर सिंह और फतेह सिंह। किसी भी जाट को गिरफ्तार नहीं किया गया।

27 मार्च को अपराह्न 4 बजे के लगभग मि. बेब खुड़ी पहुंचे और उन्होंने आदेश दिया कि सभी जाट वहां से तितर-बितर हो जाएं, अगर एक घंटे के अंदर वो वहां से नहीं हटे तो प्रशासन को बलप्रयोग करके उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने राजपूतों की तरफ मुड़कर कहा कि एक भी राजपूत किसी घर में छुपा हुआ नहीं मिलना चाहिए। बार-बार की

चेतावनी के बाद भी जाट वहां से नहीं हटे तो शाम को मि. बेब अन्य अधिकारियों के साथ जाटों के पास गये और उन्हें आखिरी चेतावनी दी कि अगर वे 5 मिनट के अंदर वहां से नहीं हटे तो उन्हें बलप्रयोग से तितर-बितर कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद भी जाट वहां से नहीं हटे तो मि. वेब ने पुलिस को हल्के लाठीचार्ज का आदेश दिया। 5 मिनट में भीड़ बिखर गई। लगभग 20 जाट गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें वाहनों द्वारा सीकर अस्पताल भेज दिया गया। लाठीचार्ज खत्म होने के बाद घटनास्थल से 150 लाठियां, 30 तलवारें, 15 बर्छियां, 3 भरी हुई बंदूकें, 3 आटे की बोरियां और 1 गैस लैम्प बरामद की गईं। भीड़ के वहां से हट जाने के पश्चात मि. वेब ने दूल्हे और दुल्हन के परिजनों को बुलाकर कहा कि यदि वे पुराने रीति-रिवाज के अनुसार यह शादी समारोह सम्पन्न करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। इस पर दोनों पक्षों ने पुरानी परम्परा के अनुसार अपने पैरों पर खड़े होकर (घोड़े पर बैठकर तोरण मारे बिना) समारोह सम्पन्न करने की इच्छा प्रकट की और शादी सम्पन्न हो गई। अब स्थिति बेहतर तरीके से नियन्त्रण में है और वहां शांति कायम है।

घोड़े की पीठ पर सवार होकर तोरण मारने की ऐसी ही एक खबर सीकर इलाके के बठोठ गांव से भी प्राप्त हुई, जहां पर जाट और राजपूत क्रमश: 200 और 300 की संख्या में एकत्रित हो गए थे। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को तुरन्त मौके पर भेज दिया गया जिसके परिणामस्वरूप भीड़ को एक ही बार में ही तितर-बितर कर दिया गया और तोरण की रस्म पुराने तरीके से निभा दी गई।'' *(RSAD Bikaner : Bikaner Confidential Records, File no. - XXIXC, 1935, p. 74-77)*

जयपुर दरबार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति सहित समाचार-पत्रों व सरकारी रिपोर्टों में केवल एक घायल जाट शिम्भूसिंह भूकर के मारे जाने का विवरण प्राप्त होता है। 2 अप्रैल के 'अर्जुन' में लाठीचार्ज के परिणामस्वरूप दो जाटों के मारे जाने का विवरण प्राप्त हुआ है जिनमें निश्चित रूप से रतनसिंह बाजिया का नाम शामिल नहीं किया जा सकता जिनकी हत्या 22 मार्च को ही कर दी गई थी। 14 अप्रैल के 'विश्वमित्र' की खबर के अनुसार खुड़ी के सम्पूर्ण घटनाक्रम में मरने वाले जाटों की कुल संख्या 5 थी। 24 मई के 'द बॉम्बे क्रॉनिकल' में राजस्थान जाट सभा के हवाले से मृतकों की संख्या 4 तथा 12 मई 1935 के 'अर्जुन' व 25 मई 1935 के 'नव राजस्थान' में भी यह संख्या 4 बताई गई। 1 मई के 'जाट गजट' के अनुसार लाठीचार्ज के बाद 'जख्मियों में से दो या तीन और आदमी अस्पताल में प्रवेश पाने के बाद मर गए।' 'अर्जुन' (6 अप्रैल 1935) की एक खबर के अनुसार 'खुड़ी में आए हुए जाटों से बीबीपुर ग्राम के एक और घस्सू ग्राम के दो जाटों का पता नहीं है। जाट जनता में विश्वास है कि वे दोनों खुड़ी में लाठीचार्ज के समय मारे गए। उनके घर वाले उन्हें ढूंढ़ रहे हैं। अभी तक उनका या उनकी लाश का पता नहीं चला है।' एफ. एस. यंग की 8 मई 1935 की रिपोर्ट में दो घायल जाटों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। *स्रोत - अरविन्द भास्कर : खुड़ी से कूदन (ऐतिहासिक दस्तावेज), कलाम पब्लिकेशन, 2024, 159*

खुड़ी की घटना आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर व इंग्लैंड के प्रमुखता से प्रकाशित हुई :

भारतीय अशांति

जाट और राजपूत

लांसर्स का भीड़ पर धावा

(ऑस्ट्रेलियन केबल सेवा)

बम्बई, शनिवार। खुड़ी गांव जहां जाट और राजपूतों में विवाह प्रकरण को लेकर असंतोष चल रहा है, में लम्बे समय से चल रहे विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। वहां असंतुष्ट लोगों ने हथियारों के साथ गांव में पैरेड की है। सीकर के सीनियर ऑफिसर कैप्टन वेब ने भारतीय लांसर्स की अगुवाई करते हुए जाटों को तितर-बितर होने का आदेश दिया। जब जाटों ने आदेश मानने से इंकार किया तो कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लांसर्स ने उपद्रवियों का घरों तक पीछा किया। इससे सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए जिनमें 5 को गंभीर चोटें आई। *(आस्ट्रेलिया अखबार Maryborough Chronicle, Wide Bay and Burnett Advertiser : Mon 1 Apr 1935 : Page 4)*

5. कूदन की घटना में मृतकों की संख्या आज तक पहेली बनी हुई है। लोक प्रचलित जानकारी के अनुसार इस घटना में अजीतपुरा के आशाराम पिलानिया तथा गोठड़ा भूकरान के टीकूराम भूकर, चेताराम भूकर व तुलछाराम भूकर शहीद हुए। इस घटना में मारे गए 'धनिया पुत्र घड़सी जाट' की पोस्टमार्टम रिपोर्ट राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में मौजूद है।

   3 जून 1935 को भारतमंत्री सेम्युअल होर ने हाऊस ऑफ कामंस में दो ब्रिटिश सांसदों स्मिथ और पलिंग के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में चार किसान मारे गए हैं जबकि चौधरी छोटूराम ने 26 मई 1935 को दिए गए वक्तव्य में 12 मृत्तकों का विवरण इस प्रकार दिया - 'तुलसा पुत्र दौला गोठड़ा 75 वर्ष, चेता पुत्र श्यामा गोठड़ा 45 वर्ष, नाथा पुत्र चेता गोठड़ा 20 वर्ष, टीकू पुत्र हुक्मा गोठड़ा 30 वर्ष, भोरू पुत्र रूपा गोठड़ा 25 वर्ष, डूंगा पुत्र रूपा गोठड़ा 30 वर्ष, आशा पुत्र डूंगा अजीतपुरा 25 वर्ष, केशा पुत्र हणुता भूमा 55 वर्ष, बक्सा पुत्र केशा भूमा 30 वर्ष, शेखा भूमा 25 वर्ष, ईश्वर भूमा 40 वर्ष और रूपा आकवा 40 वर्ष।' सीकर जाट पंचायत के अध्यक्ष चौधरी हरिसिंह पलथाना का एक वक्तव्य 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 6 जुलाई 1935 को इस प्रकार प्रकाशित हुआ : ''अकेले गोठड़ा गांव के पांच जाट फायरिंग और लाठीचार्ज के शिकार हुए - तुलसा, टीकू, डूंगाराम, चेता और शंभू। .... गोलीबारी और हमले में भूमा के एक ही परिवार के चार लोगों की भी मौत हुई। वे थे - केशु, केशु का पुत्र शेखा, केशु का दूसरा पुत्र बक्साराम और केशु का भतीजा ईशर सिंह। सीनियर ऑफिसर अजीतपुरा निवासी एक 24 वर्षीय युवक आसाराम पुत्र डूंगजी की मौत की कहानी से इनकार नहीं कर सकते, जिनकी कूदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके शव को गुप्त रूप से निपटा दिया गया और उसकी माँ को नहीं सौंपा गया, जब उसने (उसकी माँ ने) इसके लिए कहा था। चैनपुरा के पन्ना पर भी कूदन में लाठियों से वार किया गया था और वहां इस दौरान लगी चोटों के परिणामस्वरूप वह गिर गया। अत्यधिक खून बहने की स्थिति में उसे चैनपुरा ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य शिकार दीपसिंह का पुत्र बालू था। 18 साल का यह छोटा लड़का अपने पिता का इकलौता पुत्र था। मुझे जसरासर से दो, बीबीपुर से एक, आंतरोली से एक और थोरासी से दो व्यक्तियों की रिपोर्ट मिली है, जो कूदन और खुड़ी में किए गए लाठीचार्ज के परिणामस्वरूप मारे गए हैं, लेकिन चूंकि मुझे उनकी मृत्यु के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं उनके नाम मृतकों की सूची में शामिल नहीं कर रहा हूँ।''

6. कैमरी की ढाणी (खिरोड़) को देशराज ने यहां 'भाई की ढाणी' लिखा है। विद्याधर कुलहरि *(मेरा जीवन संघर्ष, कसवा ऑफसैट प्रिंटर्स झुंझुनू, 2001, 214)* ने इस घटना के बारे में लिखा है कि 'खिरोड़ के भौमियों ने यहां के किसानों से अनाज का आधा बांटा लेना चाहा जबकि किसान हमेशा

से नगदी में ही लगान देते थे। काश्तकारों ने सिट्टे तोड़ कर पूंज लगा रखी थी तथा मोठ, ग्वार आदि भी खलिहानों में इकट्ठा कर रखा था। भौमियों ने तीन रोज तक गुप्त मीटिंग की और दूसरे गांवों के भौमियों को भी बुलवा लिया। करीब 500 आदमी ऊँट, घोड़ों व पैदल बन्दूक, तलवार, भाला, लाठी लेकर कैमरी की ढाणी पर हमला करने और फसल को लूट कर ले जाने को आये। किसानों को भी इसकी कुछ भनक लग गई थी, इसलिए वो भी मुकाबले के लिए तैयार थे तथा हो-हल्ला होने पर ढाणियों से ओर भी काफी आदमी आ गये। दोनों तरफ से जमकर लड़ाई हुई मगर भौमिये लड़ाई में सफल नहीं हुए तो उन्होंने बन्दूकों के फायर किये जिसमें चार किसान नानकराम खाखल बेरी, पेमाराम रणवां की ढाणी, नोपाराम व लिखमाराम मील बेरी मौके पर ही मारे गए। खमाणाराम कटेवा, सुरजाराम कटेवा, बिसनाराम रणवां, खेताराम कटेवा व कानाराम रणवां सहित काफी लोग बुरी तरह घायल हुए। कैमरी की ढाणी के फौजी सुबेदार ने पिस्तौल से फायर किए तो डर के मारे भौमिये वापिस गए। किसानों ने उन्हें फसल नहीं लेने दी।'

जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'लोकवाणी' ने अपने 7 अक्टूबर 1946 के अंक में इस घटना के बारे में लिखा : 'खिरोड़ गांव में कुछ राजपूतों के द्वारा किसानों पर हमला करने के समाचार मिले हैं। ऐसा बतलाया गया है कि जब वे किसान अपने खेत पर काम कर रहे थे, तब कुछ राजपूत तलवार व बन्दूक आदि शस्त्र लेकर पहुंचे और उन निर्दोष किसानों पर बिना वजह शस्त्र प्रहार प्रारम्भ किया। किसानों और राजपूतों के इस काण्ड में दो किसान मारे गये और कितने ही घायल हुए। राजपूतों के इस तरह के दमन की खबरें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उक्त घटना के विशेष समाचारों की प्रतीक्षा है।'

8 अक्टूबर को 'लोकवाणी' ने इस घटना का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया :

भौमियों द्वारा खिरोड़ में किसानों पर अत्याचार

300 सशस्त्र भौमियों द्वारा हमला : 2 मरे, 17 घायल

जयपुर, 7 अक्टूबर। कल तीसरे पहर जबकि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के सदर डॉ. सीतारामैया राज्य की मुख्तलिफ जगहों से आये हुए प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं से रियासती समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे और राज्य तथा किसान के बीच से जागीरदार, भौमिया आदि अनावश्यक तबकों को हटाये जाने पर जोर दे रहे थे, ठीक उसी वक्त मानो उनके कथन के दु:खपूर्ण समर्थन में नवलगढ़ से तार के जरिये निहत्थे किसानों पर भौमियों (छोटे जागीरदारों) की ओर से हुए सशस्त्र और अफसोसनाक हमले के समाचार मिले जो कल की 'लोकवाणी' में संक्षेप में दिए जा चुके हैं।

बाद में मिले विश्वस्त समाचारों से मालूम हुआ है कि करीब 300 हथियारबंद भौमियों ने लगान सम्बन्धी झगड़े के सिलसिले में बन्दूकों, तलवारों और बर्छियों से किसानों पर हमला किया जिसके फलस्वरूप दो किसान तो उसी वक्त घटनास्थल पर मारे गये और 17 घायल हुए जिनमें से करीब 5-6 की हालत चिंताजनक है। घायल व्यक्ति नवलगढ़ के अस्पताल में भर्ती किये गये हैं और कुछ वहां के डॉक्टरों की सलाह से जयपुर लाये जा रहे हैं।

घटना नवलगढ़ से करीब पांच कोस दूर खिरोड़ गांव के पास 'कैमरी' की ढ़ाणी में हुई। कहा जाता है कि भौमिये तयशुदा लगान के एवज इस साल किसानों से उपज का आधा हिस्सा लेना चाहते थे। किसान इस अनुचित बात का विरोध कर रहे थे और यही दोनों ओर की आपसी तनातनी का सबब था।

तारीख 5 अक्टूबर को खिरोड़, बेरी और तारपुरा की वारदात किस तरह पहले से तैयारी करके की गई थी, यह इससे जाहिर होता है कि भौमियों का एक दल पहले खेत में काम कर रहे किसानों के पास गया और उनके इकट्ठे किये हुए बाजरे के सिट्टों को छीन लेना चाहा। जब उन्होंने विरोध किया तो आसपास के खेतों में छिपे हुए दूसरे भौमियों ने बन्दूकों से फायर करना शुरु किया जिससे दो आदमी तो तुरंत मर गये। गोलियों के अलावा बर्छियों और तलवारों से भी हमला किया गया। घायलों की साथ में दी गई तालिका से मालूम होगा कि किस बेदर्दी से उन पर हमला किया गया।

दूसरे रोज सवेरे नवलगढ़ से थानेदार वगैरा मौके पर पहुंच गये। मालूम हुआ है कि कल शाम की गाड़ी से जयपुर से भी पुलिस मौके पर आने के लिये रवाना हो गई है। भौमियों के तितर-बितर हो जाने से अभी वारदात के सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इस बीच घायलों को नवलगढ़ अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहां जगह कम होने से या शायद इलाज की पूरी सुविधा न होने से डॉक्टरों की सलाह से कुछ घायल जयपुर भी लाये जा रहे हैं। पांच-छः घायलों की हालत खराब है और उनके बचने की आशा कम है।

खिरोड़ गोलीकाण्ड में हताहतों की सूची

1. नानगा जाट - गोलियों से मारा गया।
2. नोपा जाट - गोलियों से मारा गया।
3. पेमा - कनपटी और हाथ की कलाई पर एक-एक बर्छी तथा सिर और कंधे पर एक-एक गोली।
4. सूरजा - दोनों जांघों पर गोलियां तथा सीने में दाहिनी ओर बन्दूक के छर्रे।
5. खमाणा - दोनों हाथों और सून्डी के नीचे पेट पर छर्रे, सिर में बांयी कनपटी पर लकड़ी का वार।
6. नरसा - सिर में, ललाट पर, दाहिनी तरफ बांये पैर की नली पर, बांये हाथ के पहुंचे पर बर्छी की चोटें।
7. मोती - गर्दन में बांये तरफ बन्दूक का छर्रा।
8. सुखदेव - बांयी तरफ छर्रे की चोट, कंधे के सामने भी।
9. धन्ना - दाहिने हाथ की कोहनी और बांये हाथ पर बर्छी की चोट।
10. लछमन - बांयी जांघ पर बन्दूक के दर्रे से एक चोट।
11. बीसनाराम - बांयी जांघ पर और पेट में दाहिनी तरफ छर्रे की चोट।
12. नारायण - तमाम शरीर में बन्दूक के छर्रे।
13. डूंगरराम - दाहिने पैर में और जांघ में बन्दूक के छर्रे से चोट।
14. लिखमा - दोनों पैरों की नलियां बर्छी से काट डाली और सारे शरीर में बन्दूक के छर्रे।
15. जैसाराम - गर्दन पर पीछे की तरफ एक लकड़ी का वार, दाहिनी तरफ पसली और कमर पर लकड़ियों की चोट।
16. कानाराम - दाहिनी जांघ में छर्रे से एक चोट।
17. रूपा - कमर में लाठी से चोट।
18. सूरजा - दाहिनी जांघ में पीछे की तरफ बन्दूक के छर्रे से चोट।
19. गोरली - दाहिने हाथ की हथेली पर बर्छी और कमर में लाठी की चोट।

(दैनिक लोकवाणी : 8 अक्टूबर 1946)

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की बैठक जयपुर में 20-22 जनवरी 1947 को गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में हुई जिसमें खिरोड़ काण्ड में चार किसानों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हुए जागीरदारी जुल्मों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया गया।

7. देवगांव हत्याकाण्ड के बारे में विद्याधर कुलहरि ने लिखा है कि दीपा के भाइयों ने अपने खेत से एक जांटी का पेड़ अपने घरेलु कार्य हेतु काटा और उसे घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे डाल दिया। इसी पर गोठड़ा, खिरोड़, मूनवाड़ी, चिराना, धमोरा, मंडावरा आदि के करीब 300 भौमियां बन्दूक, तलवार, भाला, बरछी, लाठियों से सुसज्जित होकर देवगांव पर चढ़ आये। भौमियों ने गांव में घूसते ही किसानों पर बन्दूकों से फायरिंग शुरू कर दी जिसमें दीपा का भाई कुशलाराम ऐचरा और गोविन्दराम खटकड़ मारे गए। गोलियों की आवाज सुनकर स्त्री-पुरुष घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने मुकाबला करने का प्रयास किया। इसमें 15 व्यक्ति घायल हुए। भौमिये उस जांटी के पेड़ को भी वापस उठा ले गए। दीपा उस वक्त सांगासी आया हुआ था, वरना वह भी मारा जाता क्योंकि भौमिये उसे अपना नम्बर एक शत्रु मानते थे। यह घटना जेठ सुदी 8 संवत् 2002 जून 1945 की है, कुछ लोगों ने इसे अक्टूबर गलत लिखा है। *(विद्याधर कुलहरि : मेरा जीवन संघर्ष, कसवा ऑफसैट प्रिंटर्स झुंझुनू, 2001, 165)*

चार मरे, नौ घायल

देवगांव में जागीरदार और किसानों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण 4 किसानों के मरने और 9 के घायल होने का समाचार मिला है। कहा जाता है कि किसी किसान के खेत में उखड़े हुए पेड़ के कारण यह लड़ाई हुई जिसको जागीरदार अपना बताते थे और किसान अपना। घायलों को नवलगढ़ अस्पताल में रखा गया है जहां उसमें से दो की हाल अधिक चिंताजनक बताई जाती है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। *(नवज्योति : 2 जुलाई 1945)*

*

देवगांव कत्ल केस का फैसला

उदयपुरवाटी के देवगांव गोलीकाण्ड मे भौमियों द्वारा जो दो किसान मारे गए थे और कितने ही स्त्री-पुरुष घायल हुए थे, उस केस का फैसला सेशनजजी झुंझुनू से सुना दिया गया है। सोलह अभियुक्तों में से नौ को बरी कर दिया गया और सात को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास और पचास-पचास रुपया जुर्माना की सजा दी गई। *(लोकवाणी : 9 दिसम्बर 1945)*

8. रामेश्वरसिंह *(शेखावाटी के गांधी अमरशहीद करणीराम, चंवरा शहीद स्मारक समिति झुंझुनू, 1984, भाग-3, पृष्ठ 4)* ने हरलालसिंह के सम्बन्ध में लिखा है कि 'हुकमपुरा का हरलालसिंह किसान अपना खेत जोत रहा था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को गुढा तथा लीला की ढाणी के जागीरदार लोग सैकड़ों की तादाद में हथियारबन्द आये। हरलालसिंह को खेत जोतने से मना किया। किसान ने अकेले ही इन लोगों का सामना किया और आखिर भूमाता की रक्षार्थ बलिदान हो गया। जागीरदारों ने पूरे गांव को लूटा। मवेशी ले गये और जो कुछ सामान मिला, उसे भी उठा लिया। शेष नष्ट कर दिया। जाते समय किसान का मृत शरीर भी ले गये।'

नरोत्तमलाल जोशी ने लिखा है कि ''गुढ़ा के पास हुकमपुरा के एक काश्तकार हरलाल जाट पर उन्हें यह सन्देह हो गया कि उसकी गतिविधियां विरोधी हैं और वह प्रजामण्डल या किसान कार्यकर्ताओं से सम्पर्क रखता है। बस एक दिन भौमियों के एक गिरोह ने उक्त हरलाल

को जबरदस्ती उड़ा लिया और उसे गायब कर दिया। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस व तत्कालीन जयपुर राज्य के गृहमंत्री तक इसकी शिकायत की और उसे खोज कराने की मांग की परन्तु पुलिस ने बराबर यही कहा कि ऐसी न तो हमारे थाने में रिपोर्ट की न ऐसी कोई घटना हुई। यहां तक कि पत्नी को तथा उसकी संतान को पुलिस के सामने प्रस्तुत किया तो भी कोई सफलता नहीं मिली। इस घटना के लगभग 15-20 वर्ष बाद जब परिस्थितियों ने पलटा खाया तो उन भौमियों ने मेरे को उक्त हरलाल के अपहरण व हत्या का सारा विवरण बतलाया और कहा कि वे लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाने और कार्यवाही के भय से उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े करके उदयपुरवाटी के पहाड़ों की तली में तांबा व अन्य धातु खनिज के लिए खोदे गए कुओं में डाल दिए थे।'' *(रामेश्वरसिंह : शेखावाटी के गांधी अमरशहीद करणीराम, चंवरा शहीद स्मारक समिति झुंझुनू, 1984, भाग-2, पृष्ठ 42)*

9. बाजीसर की घटना के बारे में साप्ताहिक 'नवज्योति' के 6 जनवरी 1941 के अंक में एक खबर प्रकाशित हुई :-

शेखावाटी के किसान पर प्राण घातक हमला

बाजीसर में हत्या

कहते हैं कि गत 25 दिसम्बर को तीसरे पहर के करीब ठिकाना सूरजगढ़ बिसाऊ के लगभग 9 हथियार बन्द कर्मचारी चार ऊँटों पर सवार होकर बाजीसर में उस जगह पहुंचे, जहां घासीराम जाट के घर वाले अपने बाड़े में बाजरे का लाट निकाल रहे थे। कर्मचारियों ने बाड़े में अपने ऊँटों को बांध दिया और चार लाठीधारी मीणों को बुलाया। घासीराम के लड़के ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा वह ठिकानेदार बिसाऊ की जमीन है, तुम यहां से हट जाओ और वे लाट पर अधिकार जमाने की चेष्ठा करने लगे। इतने में घासीराम भी कुएं से नहा कर लौटा। कहा जाता है कि उसके आते ही सब कर्मचारियों ने उस पर लाठियों व तलवारों से हमला कर दिया जिसके फलस्वरूप उसकी उसी दम मृत्यु हो गई। उसको मरता देख कर सभी कर्मचारी व मीणें ऊँटों व घोड़ों पर सवार होकर भाग गये। घासीराम के लड़के ने मंडावा थाने में जाकर रिपोर्ट की, पर मुंशी ने रिपोर्ट लिखने में बड़ी हील-हवाला किया और बहुत देर में रिपोर्ट लिखी।

कहा जाता है कि घासीराम ने इस वर्ष लगान नहीं दिया था और यह कहा था कि जब मेरा बाजरा बिक जावेगा, उस समय मैं लगान दूंगा। शेखावाटी प्रजामण्डल जिला कमेटी के सभापति श्री हरलालसिंह जी घटना की जांच करने के लिये गये हैं। वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक वक्तव्य प्रकाशित करेंगे।

गत 27 दिसम्बर को दिन के 11 बजे ठिकानेदारों के अत्याचारों के शिकार बाजीसर के किसान श्री घासीराम जाट का दाह-संस्कार सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में उसी बाड़े में, जहां उनकी मृत्यु हुई, वैदिक रीति से किया गया। सभी उपस्थित व्यक्तियों के चेहरों पर रोष, असंतोष व दु:ख छाया हुआ था। मंडावा के थानेदार और डिप्टी इंस्पेक्टर झुंझुनू भी बाजीसर के मामले की जांच कर रहे हैं। उनसे मालूम हुआ है कि घासीराम जी के कत्ल के मामले में 12 आदमियों का हाथ है। इनमें 8 ठिकाना बिसाऊ के कर्मचारी बतलाये जाते हैं जिनके नाम उज्जेनसिंह, नारायणसिंह, बलूतसिंह, कालूखां, अनूनखां, महमूदखां और भूरा नम्बरदार बतलाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त चार मीणें भी इसमें शामिल कहे जाते हैं। अभी तक पुलिस ने पन्ना मीणा और भूरा नम्बरदार को ही गिरफ्तार किया है। *(नवज्योति : 6 जनवरी 1941)*

10. चनाणा गोलीकाण्ड का विवरण देते हुए 'लोकवाणी' ने लिखा :

चनाणा में भौमियों द्वारा गोलीकाण्ड

किसान की छाती पर गोली लगने से मृत्यु

प्रजामण्डल के मनोनीत अध्यक्ष टीकाराम घायल

प्रजामण्डल की सभा पर हमला

जयपुर, 16 फरवरी। शेखावाटी के चनाणा नामक गांव में बहुत से भौमियों और जागीरदारों द्वारा लाठी, बर्छी व बन्दूकों से प्रजामण्डल की एक आम सभा पर हमला किये जाने के कारण एक किसान छाती में गोली लगने से उसी समय मर गया और 60-70 घायल हुए। घायलों में 4-5 की अवस्था बड़ी नाजुक है। प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री व मनोनीत अध्यक्ष श्री टीकाराम पालीवाल के भी हाथ और कमर पर चोटें आई हैं।

प्रजामण्डल के प्रधान कार्यालय में सूचना मिली है कि 14 फरवरी को श्री नरोत्तमलाल जोशी के सभापतित्व में चनाणा नामक गांव में दिन के 3 बजे प्रजामण्डल की एक आम सभा होने वाली थी किन्तु वहां पर बहुत से भौमियों और जागीरदारों ने लाठी, बर्छी व बन्दूकों से हमला कर दिया। फलस्वरूप एक किसान श्री हनुमानसिंह सीथल छाती में गोली लग जाने से तत्काल मर गये। 4-5 किसानों की हालत नाजुक है। 60-70 किसानों के लाठी की सख्त चोटें आई हैं। प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री व मनोनीत अध्यक्ष श्री टीकारामजी पालीवाल के भी हाथ और कमर पर चोटें पहुंची हैं। पुलिस सब-इंस्पेक्टर गुढ़ा व झुंझुनू मय आर्म्स पुलिस के मौके पर मौजूद थे किन्तु आक्रमणकारियों को गिरफ्तार न कर सके। दूसरे दिन प्रात: 3 बजे मेडिकल आफिसर व श्री नाजिम झुंझुनू मय आर्मस पुलिस के वहां पहुंचे। गांव में अपराधियों के मौजूद रहते हुए भी किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। *(दैनिक लोकवाणी : 17 फरवरी 1947)*

*

चनाणा का लोमहर्षक गोलीकाण्ड

धारा सभा व प्रतिनिधि सभा के जागीरदार सदस्य भी शामिल

प्रजामण्डल के नेताओं को मार डालने का प्रयत्न

झुंझुनू, 17 फरवरी। चनाणा से पूरा समाचार आने पर पता चला है कि प्रचारार्थ प्रजामण्डल की ओर से श्री नरोत्तमलाल जोशी के सभापतित्व में की गयी सभा पर 150 भौमिये राजपूत जागीरदारों ने लाठी, बर्छी व बन्दूकें ले लेकर हमला कर दिया। छाती में गोली लगने से एक किसान हनुमानसिंह सीथल मर गया। चार-पांच की हालत नाजुक है। 60-70 किसानों को लाठियों की सख्त चोट आई हैं। प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री तथा मनोनीत अध्यक्ष श्री टीकाराम जी पालीवाल पर घातक वार किया गया और उन्हें हाथ व कमर पर चोटें आयी हैं। आक्रमणकारी चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि 'संतकुमार व हरलालसिंह को मार डालो।' श्री नरोत्तमलाल व श्री हरलालसिंह को लक्ष्य कर फायर भी किये गये पर वे बाल-बाल बच गये।

राजपूत भौमिये हमला करने के मनसूबे से ऊँटों व घोड़ों पर चढ़ कर हथियारों से लैस होकर आये थे। इनमें मुखिया कुंवर हरिसिंह चनाणा एम.एल.सी., ठाकुर सौभागसिंह जखोड़ा एम.आर.ए. व ठाकुर भवानीसिंह मंडेला आदि थे। इनके साथ ही मिलकर चनाणा के भौमिये जागीरदार भी मार-काट कर रहे थे। सारा सामान लूटकर भौमिये 8 ऊँटों पर लाद कर ले गये और दो ऊँट भी किसानों के छीन ले गये।

सब-इंस्पेक्टर पुलिस गुढ़ा मय आर्म्स पुलिस के वहां मौजूद थे जो कि मौके से भाग गये। बाद में पूछने से पता चला कि उन्हें मजिस्ट्रेट का हुक्म था कि किसी भी हालत में आक्रमणकारियों पर फायर न किया जाये। अगले दिन सवेरे 6 बजे डॉक्टर व नाजिम मय आर्म्स पुलिस के झुंझुनू से वहां पहुंचे किन्तु अपराधियों के वहां मौजूद होते हुए भी ढाई बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय अधिकारियों के रवैये से किसी भी अपराधी के गिरफ्तार किये जाने की आशा नहीं की जा सकती। *(दैनिक लोकवाणी : 20 फरवरी 1947) (प्रजा-सेवक : 26 फरवरी 1947)*

चनाणा काण्ड में भौमिया पक्ष का एक व्यक्ति भी मारा गया। घटना के बाद किसान नेताओं पर मुकदमा चलाया गया जिसमें एक गवाह ने कहा कि सभा के दौरान 'सरदार हरलालसिंह ने अपने भाषण में जयपुर सरकार व जयपुर दरबार, ठिकानेदार व राजपूतों को गालियां दी और राजपूतों के ऐतराज करने पर मीटिंग के सभापति पं. नरोत्तमलाल व पं. टीकाराम पालीवाल ने यह हुक्म दिया कि इन लोगों को मारो। नेतराम, बूंटीराम, बजरंगा वगैरह ने जो लाठियों के वार पनेसिंह मरहूम पर किये जो कमर के नीचे लगे। आखिरी लाठी सरदार हरलालसिंह ने पनेसिंह के सिर में मारी जिससे वह गिर पड़ा और चिल्लाया कि मेरे सिर में हरलालसिंह ने लाठी मारी है।' *(दैनिक लोकवाणी : 5 जुलाई 1947)*

11. अपने संस्मरणों में राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री नरोत्तमलाल जोशी ने लिखा है कि 'सेही के एक फौज के रिटायर्ड व्यक्ति ने अपना नाम स्वामी मिश्रानन्द रख लिया था। वे बड़े उत्साह से गांवों में घूम-घूम कर काश्तकारों में राजनैतिक चेतना का संदेश दिया करते थे। श्री रामदेव जी उन्हें अपने साथ उदयपुरवाटी में प्रचार के लिए ले गए थे। उदयपुरवाटी के क्षेत्र के काश्तकारों ने उनका बड़ा आतिथ्य-सत्कार किया। कार्यकर्ताओं को काश्तकार उन दिनों भौमियों के अत्याचारों से रक्षा करने वाला मुक्ति-दूत समझते थे। उक्त स्वामीजी दूध, दही, खीर आदि खाते-पीते और स्वागत-सत्कार स्वीकार करते हुए एक दिन दुड़िया ग्राम में विश्राम कर रहे थे कि 10-15 लठैत एवं शस्त्रधारी भौमिये वहां आ पहुंचे और स्वामीजी और उनके साथियों को खूब मारा-पीटा और स्वामीजी को तुरन्त वह क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और कभी न आने का वचन लेकर जाने दिया। बाद में स्वामीजी ने बतलाया कि 'उन्हें लाठियों की चोटों, घूसों और बंदूक के कुंदे से इस तरह पीटा कि सारा अस्थिपंजर हिल उठा और भयंकर पीड़ा होती रही। कहीं भी शरीर पर खून का या अन्य कोई चोट फूट नहीं निकली। इसकी पीड़ा कई मास तक रही और बराबर याद रही।' इस घटना से प्राय: कार्यकर्ता उदयपुरवाटी क्षेत्र में जाने से कतराते। भूस्वामियों का प्रभाव या आतंक इतना था कि उसके भयानक परिणामों की आशंका से कोई भी आहत व्यक्ति प्रथम तो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करता और यदि साहस करके पुलिस थाने में आता तो हतोत्साहित करते। यदि फिर भी रिपोर्ट होती तो कोई साक्षी उक्त घटना का प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। यह आतंक का वातावरण काल्पनिक नहीं, वास्तविक था क्योंकि भौमियां लोग अपने उदयपुरवाटी क्षेत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह को प्रवेश नहीं करने देते जो काश्तकारों में किसी प्रकार की चेतना या जागृति पैदा करके उनके शोषण को समाप्त कर दे। इस प्रकार की मारपीट करते समय वे साफ तौर से आहत व्यक्ति या समूह को स्पष्ट रूप से बतला देते कि उदयपुरवाटी उनका एकाधिकार का क्षेत्र है, हमारे काश्तकारों को बहकाने या प्रचार करने को जो भी आएगा, उसे हम निकाल देंगे या समाप्त कर देंगे।'' *(स्रोत - रामेश्वरसिंह : शेखावाटी के गांधी अमरशहीद करणीराम, चंवरा शहीद स्मारक समिति झुंझुनू, 1984, भाग-2, पृष्ठ 41)*

12. राजस्थान विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री नरोतमलाल जोशी के साथ हुई भयंकर मारपीट की घटना का विस्तृत विवरण स्वयं उनकी जुबानी 29 मई 1945 के 'लोकवाणी' में प्रकाशित हुआ था। इस विवरण को पढ़ने के लिए देखें : *https://www.jatland.com/home/Shekhawati_Ke_Gandhi_Amar_Shahid_Karni_Ram/Amanushik_Atyachar_Ki_Karun_ Kahani*
13. 'तारीख 18 अक्टूबर को भारणी (तोरावाटी) में महरोली के भौमियों ने वहां के दो किसानों को गोली चला कर मौत के घाट उतार दिया। अफवाह है कि इसमें एक बड़े राजपूत अधिकारी का हाथ है। एक पुलिस अधिकारी किसानों के बयान लेने के लिये गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं मिली है। घटना का पूरा विवरण अगले अंक में दिया जाएगा।' *(जयपुर से प्रकाशित 'आजाद हिन्दुस्तान' : 25 अक्टूबर 1942) (RSAD Bikaner : Home Department Confidential Bikaner, Basta No. 19, File no. - 1, 1942, 112)*

कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'विश्वमित्र' ने इस घटना के बारे में लिखा :

राजपूतों का उत्पात

खेत लूट लिया : किसानों को पीट दिया

जयपुर, 22 अक्टूबर। महरौली (निजामत तोरावाटी) के भौमिया राजपूतों के उपद्रव और उसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों के मारे जाने तथा कुछ के घायल हो जाने के सनसनीदार समाचार प्राप्त हुए हैं। 18 अक्टूबर को महरौली के भौमिया राजपूत भारणी निवासी नवलराम जाट के खेत की उपज को अपने कब्जे में करने या नष्ट कर देने की मंशा से करीब 150-200 की तादाद में खेत पर चढ़ आये। नवलराम जाट तथ खेत की रखवाली पर जो दो-चार आदमी थे, उन्होंने राजपूतों को समझाया। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सारे गिरोह ने मिलकर खेती को नष्ट करना शुरू कर दिया और मनमाने तौर पर बाजरे के सिट्टे तोड़ने लग गये। घबराकर रखवाली करने वाले गांव में खबर दने के लिये गये। ये लोग खेत की तरफ वापिस आ रहे थे, तब रास्ते में राजपूतों का गिरोह खेत का अनाज आदि ले जाता हुआ मिला। इस समय फिर उन्होंने राजपूतों को समझाया लेकिन वे नही माने। यहां तक कि उन्होंने गोली चला दी तथा तलवार से हमला किया। परिणामस्वरूप दो नौजवान जाट वहीं मारे गये और एक-दो के तलवार की चोट आई। स्मरण रहे कि महरौली के इन्हीं भौमिया राजपूतों ने जुलाई के महीने में भी खेत पर कब्जा करने की कोशिश की थी और बीज बोये हुए खेत पर जबरन दूसरी बार हल चलाये थे। इस मामले का मुकदमा निजामत तोरावाटी में विचाराधीन है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेखनीय है कि नवलराम जाट ने घटना हुई, उसके एक-दो रोज पहले ही पुलिस को इत्तिला दी थी तथा प्राइम मिनिस्टर आदि को भी तार दिया था कि राजपूतों के हमले और दंगे हो जाने की आशंका है। अत: राज्य उन लोगों को हिदायत देने और उनसे लिखवाने की समुचित कार्रवाही करे किन्तु राज्याधिकारियों ने शायद इस बारे में कोई कार्रवाही नहीं की और उपयुक्त सनसनीखेज घटना घट गई। प्राइम मिनिस्टर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आदि को घटना के बारे में सूचना दे दी गई बतलाई जाती है। *(दैनिक विश्वमित्र : 26 अक्टूबर 1942)*

इस हत्याकाण्ड के बाद भारणी के किसानों ने महरोली के भौमियों को लगान देना बंद कर दिया और दो किसानों की हत्या के जुर्म में 17 भौमियों को उम्र कैद हुई। शहीद होने वाले दोनों किसानों श्योबक्स खर्रा पुत्र चौधरी नवलराम और नाथूराम निठारवाल पुत्र चौधरी रामूराम का स्मारक बनवाया गया।

14. जयपुर से प्रकाशित 'लोकवाणी' ने 20 अक्टूबर 1946 के अंक में पिछले दो बरसों में जयपुर राज्य में जागीरदार-भौमियों द्वारा किसानों पर हुए सशस्त्र हमलों का विवरण इस प्रकार दिया :

जगह	मरे	घायल
1. पचेरी (शेखावाटी)	2	-
2. देवगांव (शेखावाटी)	2	12
3. महरोली (तोरावाटी)	2	-
4. बठोठ (सीकर)	2	1
5. मोल्यासी (सीकर)	-	5
6. खींवासर (शेखावाटी)	-	4
7. मांडासी (शेखावाटी)	1	-
8. खिरोड़ (शेखावाटी)	3	17

देवगांव, भारणी (महरोली) और केमरी की ढाणी (खिरोड़) की घटनाओं का विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। शेष का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

*

16 सितम्बर 1944 को पचेरी के ठाकुर शिवसिंह व संग्रामसिंह जो पचेरी में एक-चौथाई जमीन के ही पानेदार थे, ने ढाणी शिवसिंहपुरा में दत्तूराम व बिरजू नामक दो किसानों को गोलियां चलाकर मार डाल डाला और अनेक स्त्रियों व पुरुषों को घायल कर दिया। 'हिन्दुस्तान' ने इस सम्बन्ध में लिखा :

पचेरी में गोलियां चलीं

दो आदमी जान से मारे गये

झुंझुनू। पचेरी बड़ी से समाचार मिला है कि शिवसिंहपुरा के जमीन के झगड़े को लेकर शिवसिंहपुरा के किसानों पर गोलियां चला दी गईं जिससे दो आदमी (बिरजू अहीर और दत्ताराम खाती) तुरन्त जान से मारे गये। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में हुई है और उच्च अधिकारियों को तार दिये गये हैं। कहा जाता है कि पचेरी के ठाकुर शिवसिंह, संग्रामसिंह और जखोड़ा के ठाकुर सौभागसिंह की कमाण्ड में एक सशस्त्र गिरोह ने जिसमें 5 हथियारबंद पुलिस के सिपाही व एक हवलदार भी शामिल थे, हमला किया और गोलियां चला दीं। स्मरण रहे कि गत जेठ मास से जमीन का झगड़ा चल रहा था जिसमें कई बार पुलिस को जाना पड़ा था और अभी-अभी नाजिम, तहसीलदार और सेटलमेंट कमिश्नर साहब भी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के हुक्म से जाने वाले थे। *(हिन्दुस्तान : 21 सितम्बर 1944)*

'पचेरी के शिवसिंह संग्रामसिंह के अलावा टुड्डी दुड़िया केस के तत्कालीन फरार जखोड़ा के ठाकुर सोभागसिंह तथा एक बलात्कार केस में फरार इस्माइलपुर के ठाकुर गंगासिंह व सहड़ के पास की ढाणी के कर्नल के बेटे मेघसिंह की कमाण्ड में यह लोग 16 सितम्बर की शाम को 5 बजे के करीब बहुत से आदमियों के साथ शिवसिंहपुरा पहुंचे। किसानों ने फसल काटना शुरू कर रखा था। ठाकुरों ने उन्हें रोका और अपने आदमियों को मारपीट करने का आदेश दिया। ठाकुरों के इस दल के साथ सिंघाना से आये हुए आर्म्ड पुलिस के 5 जवान भी थे। ठाकुरों ने गाली-गलोज की और साथ के लोगों ने मारपीट शुरू की। फसल काटने वाली किसान स्त्रियों को पीटा गया। जब स्त्रियों ने चिल्लाना-रोना शुरू किया तो दत्तू और बिरजू आये। ठाकुरों ने

गोलियां चला दीं और उससे दत्तू खाती गोली लगने से मर गया। बिरजू अहीर जो कि उसका साथी था, आगे आया और उसने कहा दत्तू मर गया तो मैं जी कर क्या करूंगा? उसकी इस हिम्मत की बात पर उस पर भी गोली चलाई गई जिससे गोली लगने के कुछ समय बाद ही वह भी मर गया।'
स्रोत – सत्यदेव विद्यालंकार : जागीरी समस्या का नग्न रूप (पचेरी की पुकार), राष्ट्रीय पुस्तक भण्डार जोधपुर, 1946, 34-35

किसानों के घर बरबाद कर दिये गये
पचेरी के ठाकुरों की जुल्मी हरकतें

उधर शेखावाटी में जागीरदारों की जालिमाना हरकतें उसी समय चालू हैं। गत सप्ताह की ही बात है – पचेरी के पास की बामणां की ढाणी पर वहां के जागीरदार शिवसिंह व संग्रामसिंह ने 150 हथियारबंद आदमियों के साथ चढ़ाई की और किसानों को मार-पीट कर बढ़ाया हुआ लगान वसूल करना चाहा। जब किसानों ने अपनी असमर्थता जाहिर की तो उन्होंने किसानों के घरों को तोड़-फोड़ डाला, बर्तन, कपड़े, अनाज आदि ले गये और कहने लगे कि 'हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। यहां खेती वे ही करेंगे जो हमें मनमाना लगान देंगे।'

इस तरह किसानों-बच्चों और स्त्रियों तक को मारपीट कर उनके घर उजाड़ने के बाद उन जागीरदारों ने वहां बैठ कर शराब पी और गोलियों के खाली फायर करते हुए लोगों से कहा कि 'यहां से भाग जाओ वर्ना आज खाली गोलियां चली हैं, वे कल तुम्हें भून डालेंगी।'

ज्ञात हुआ है कि यह भयानक काण्ड पचेरी में जयपुर सरकार द्वारा बन्दोबस्त होने की चर्चा के बाद ठिकानेदारों ने जो नजराना लेना शुरू किया है, उस सिलसिले में हुआ है। ठाकुरों ने पहले इसी ढाणी से चौदह हजार से ऊपर नजराना ले लिया था और अब उतना ही और मांगते थे। बताया गया है कि किसान अब तक 9 रुपया फी बीघा के हिसाब से नजराना दे चुके हैं। किसानों के ज्यादा देने से इंकार करने पर उनमें व दूसरे लोगों में आतंक फैलाने के लिये यह काण्ड किया गया है।

तीन साल पहले इन्हीं ठाकुरों ने दो किसानों को कत्ल कर दिया था और तब से पचेरी के बन्दोबस्त का प्रश्न खड़ा हो रहा है पर जयपुर राज्य की ढिलमिल नीति के कारण वह अब तक नहीं हो पाया है। *(प्रजा-सेवक : 28 मई 1947)*

*

बठोठ की घटना के बारे में ठाकुर देशराज ने अपनी पुस्तक 'रियातसी भारत के जाट जन सेवक' *(पेज 318)* में लिखा है कि 'सीकर में बठोठ एक छोटी सी जागीर है। वहां के किसान एक पेड़ को काटना चाहते थे। ठिकानेदार उस पेड़ को अपना धन मानता था। इसी पर झगड़ा हो गया और मदांध ठाकुर ने दो बहादुर किसानों को गोली का निशाना बना दिया। उन्हीं अमर शहीदों को सीकर के लोग चौधरी रूड़ाराम और चौ. हीराराम जी के नाम से याद करते हैं। आप दोनों ही ढाका गोत्र के जाट सरदार थे और बठोठ आप की जन्मभूमि थी।'

बठोठ के दो किसान जागीरी 'जुल्म' के शिकार

सीकर (डाक से)। बठोठ के जागीरदार ने लगभग 200 हथियार बन्द आदमियों को साथ लेकर 2 अप्रैल को दोपहर में किसानों पर सशस्त्र आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप 2 किसानों की मृत्यु हो गई तथा एक सख्त घायल हुआ है। हमले का तात्कालीक कारण यह बताया जाता है कि जब जागीरदार के आदमी किसानों के खेतों में से जबरदस्ती लकड़ी और फूस ले जा रहे थे, तब किसानों ने आपत्ति की और उन्हें ले जाने से रोका। इस पर वे लोग चले गये

और इसकी सूचना जागीरदार साहब को दी। वे तुरन्त ही 200-250 आदमियों को लेकर खेतों पर चढ़ आये और आते ही निहत्थे किसानों पर गोलियां दाग दीं जिससे चार किसानों के चोटें आईं। इनमें से एक की तो सीकर के अस्पताल में पहुंचने पर और दूसरे की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। मृत किसानों के शवों को खादी में लपेट कर तथा तिरंगे झंडों से सजाकर कस्बे के प्रमुख बाजारों में से नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया। *(हिन्दुस्तान : 8 अप्रैल 1946)*

*

14 दिसम्बर 1945 की मोल्यासी की घटना का वर्णन करते हुए चौधरी रणमल सिंह ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि 'चाँदनी रात में एक तख्ते का मंच बनाकर प्रजामण्डल की मीटिंग शुरू की। मीटिंग में लगभग 150 किसान थे। मीटिंग के दौरान जागीरदारों के हथियारों से लैस 500 हमलावरों ने आक्रमण किया। सभा के मंच पर भाषण करने के दौरान मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, इससे मेरी नाक क्षतिग्रस्त हो गई एवं सिर में व हाथों पर धारदार हथियारों की चोटें आई। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान श्री कन्हैयालाल जी, श्री कुमारनारायण जी एवं श्री लेखराम जी कसवाली मीटिंग में थे, उन पर भी आक्रमण हुआ। मुझे घायल अवस्था में सीकर के अस्पताल में लाए। मैं जिस बैड पर था उसके पास वाले बैड पर मोल्यासी गांव के ठाकुर दुर्जनसाल सिंह भी घायल होकर लेटे हुए थे। उनके गले में जनेऊ देखकर मैंने पूछा, महाराज (ब्राह्मण का सम्बोधन) आप यहां कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज (ब्राह्मण) नहीं, मोल्यासी गांव का ठाकुर दुर्जनसाल सिंह हूँ।' *(दयाराम महरिया : शताब्दी पुरुष रणबंका रणमल सिंह, कल्पना पब्लिकेशन जयपुर, 2015, 122)*

शांत निहत्थे ग्रामीणों पर गोलियां

प्रजामण्डल कमेटी के तत्वावधान में मोल्यासी ग्राम में हुई एक शांत किसान सभा पर लगभग एक सौ हथियारबंद भौमियों के सशस्त्र आक्रमण का समाचार मिला है। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व किसान लोग जब 'जय हिन्द' और 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगा रहे थे तब अचानक बन्दूक, नंगी तलवारों और भालों से सुसज्जित भौमियों की एक पार्टी सभास्थल पर आई और आते ही निहत्थे शांत किसानों पर छर्रे-गोलियां दाग दीं, साथ ही लाठियों की बौछार की। फलस्वरूप एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों के चोटें आई हैं। श्री लेखरामजी कसवाली और मास्टर रीडमलसिंहजी तथा एक बूढ़ी औरत के भी लाठी की सख्त चोट लगी है। अभी तक कुल 9 आदमियों को सीकर ट्रेवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपरिंटेंडेंट पुलिस कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर जांच के लिये मोटर से गये हैं।

स्मरण रहे कि गत सप्ताह हाल ही में पहले भी किसानों की एक प्राइवेट मीटिंग पर भी इसी प्रकार कई व्यक्तियों ने अचानक ही धावा किया था किन्तु कुछ समझदार व्यक्तियों के बीच-बचाव के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई और इसलिए अबकी बार सभा का आयोजन खास मोल्यासी गांव में न कर कर पास की ढाणी में किया गया था। *(लोकवाणी : 30 दिसम्बर 1945)* *(THE BOMBAY CHRONICLE : December 20, 1945)*

*

शेखावाटी में एक और गोलीकाण्ड

किसान प्रजा पर जागीरदारों के अत्याचार

जयपुर, 28 मई। स्थानीय प्रजामण्डल को तार द्वारा सूचना मिली है कि शेखावाटी जिला अंतर्गत खींवासर गांव के किसानों पर वहां के जागीरदारों ने एक सशस्त्र आक्रमण किया जिसके

फलस्वरूप 14 आदमी घायल हुए हैं। इनमें से 7 की अवस्था चिंताजनक बताई जाती है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। *(दैनिक लोकवाणी : 29 मई 1946)*

*

मई 1945 के मांडासी के प्रसिद्ध किसान नेता बेगराज की हत्या में कर दी गई। इस संदर्भ में पं. ताड़केश्वर शर्मा का एक बड़ा लेख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ :-

''.............. चौधरी चिमनराम और गुमानसिंहजी ने जिस पवित्र भूमि में जन्म लिया था, उसमें बेगराजजी भी पैदा हुए थे। ठिकाना मंडावा के पहले आप चौधरी थे, इसलिए ठिकाने के शोषण और जुल्म-ज्यादती को आपने नजदीक से देखा था। शोषक और शोषितों के इस युद्ध में आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने शोषकों द्वारा होने वाली आय को तो ठुकराया ही, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए दृढ़ संकल्प कर के छोड़ दिया। और यही कारण था कि आपके कारण गांवों में ठिकानाशाही जुल्मों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा बन गया। प्रसिद्ध किसान प्रतिनिधि श्री घासीरामजी के बाद आपका ही नम्बर आता है जिनका गांव वालों से ही निकट सम्पर्क ज्यादा था और जिनके दौरे के बाद एक सपाटे में ही कोई भी हलचल और योजना जोर पकड़ जाती थी। यही कारण था कि इस कर्मठ साथी की कार्यवाहियों से ठिकाना क्षेत्र सदा सशंकित रहते थे किन्तु यह निर्भीक भाई रात-दिन शेखावाटी की जन-जाग्रति के संगठन में मूक भाव संलग्न था।

प्रतिनिधि सभा और धारा सभा के चुनावों में यद्यपि आपको दूसरे कार्यवश अधिक दौरे कहीं करने पड़े किन्तु आपकी कुछ हलचलों से ही कुछ कम समझ लोग बौखला गये। सब जानते हैं कि 15 मई को धारा सभा के चुनाव के दिन शेखावाटी के ठिकानेदारों ने संगठित रूप से प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ियां की और कई जगह तो मार-पीट भी कर डाली किन्तु यह बेगराजजी का प्रभाव था कि नूआ के पोलिंग स्टेशन पर विशेष गड़बड़ न होने पायी। यहीं क्यों, बेगराजजी के इस प्रभाव के कारण उन्मत्त हुए लोगों ने दूसरे दिन दीवार बनाने के प्रश्न पर झगड़ा करना चाहा तो पहली बार उन्होंने शांत करवा दिया। यहां तक कि अपने पक्ष के जो लोग गर्म स्वभाव के थे, उन्हें हटा दिया और उनकी लाठियां छुपा दीं किन्तु इन स्वेच्छाचारी हमारे सरदारों के चाकरों व समर्थकों की टोली ने उस अहिंसक वीर की अचानक हमला कर के नृशंस हत्या कर डाली। मुझे वहां के मौके के एक गवाह ने बतलाया था कि पहली बार बेगराजजी ने बड़ी दृढ़ता से एक बड़े खून-खच्चर को टाल दिया था और दुबारा का खून-खच्चर उनका 'शानदार बलिदान' होकर खत्म हो गया। इसीलिए मैंने इस आदरणीय साथी के लिए ऊपर ही 'शेखावाटी का शहीद सपूत' नाम दिया है।''...*(नवज्योति : 18 जून 1945) (लोकवाणी : 3 जुलाई 1945)*

****

देवेन्द्र कुल्हार
पोस्ट : कुहाड़वास, जिला झुंझुनू (राज.)

वर्तमान में हरियाणा शिक्षा विभाग में व्याख्याता (इतिहास) के रूप में अंबाला में कार्यरत हैं। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूर्ण करने के बाद कॉलेज शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पूर्ण की। इसके पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से **शेखावाटी क्षेत्र की कृषि व्यवस्था: झुंझुनू जिले के विशेष संदर्भ में (18वीं-19वीं शताब्दी)** नामक विषय पर अपना पीएचडी शोध कार्य पूर्ण किया। शोध कार्य के दौरान शेखावाटी क्षेत्र पर विभिन्न राष्ट्रीय मानक जर्नलों में एक दर्जन से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और दो पुस्तकें **'शेखावाटी किसान आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी ताराचंद झारोड़ा'** और **'जाट महायज्ञ (20-26 जनवरी, 1934)'** का लेखन किया है।आजादी के अमृत महोत्सव पर **'मरूधरा के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी'** नामक पुस्तक का भी आपने लेखन किया है।

अरविंद भास्कर का जन्म 27 मार्च, 1982 को सीकर जिले के एक छोटे से गाँव घस्सू (लक्ष्मणगढ) में हुआ। आपने स्थानीय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद वर्ष 2006 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक परीक्षा में सफलता प्राप्त की और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलारां (सीकर) में कार्यग्रहण किया। वर्ष 2016 में प्राधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने के बाद क्रमश: दाड़मी (जोधपुर), करड़ (सीकर) और रसीदपुरा (सीकर) में कार्य करने के बाद वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं।

लेखक एक दशक से भी अधिक समय से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। इस दौरान इन्होंने **महाराणा प्रताप, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, विश्व इतिहास, वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास, आधुनिक भारत, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वस्तुनिष्ठ आधुनिक भारत** जैसी दर्जनों पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है।

आपने सीकर जिला प्रशासन के लिए इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और योजनाओं पर एक शानदार पुस्तक **'सीकर संदर्शिका'** शीर्षक से लिखी है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तकों के लेखक मण्डल में भी शामिल हैं। आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक **'भारत का इतिहास'** का लेखन कार्य किया है तथा वर्तमान पाठ्यक्रम में चल रही कक्षा 9 की पुस्तक **'राजस्थान का इतिहास एवं शौर्य परम्परा'** तथा कक्षा 10 की पुस्तक **'राजस्थान की कला एवं संस्कृति'** के पुनरीक्षण, संशोधन व परिवर्धन का कार्य किया है। स्थानीय इतिहास के क्षेत्र में आपने **'सीकर किसान आन्दोलन (1922-35)** व **सीकर-जयपुर संघर्ष (1938)'** पर शोध कार्य और ठाकुर देशराज की पुस्तक **'रियासती भारत के जाट जन सेवक'** व शेखावाटी किसान अन्दोलन के प्रसिद्ध नेता नेतराम सिंह गौरीर की आत्मकथा का सम्पादन किया है।

Code : KLM-569
Price : ₹ 250/-

कलाम

कलाम पब्लिकेशन, सीकर
नवलगढ़ रोड, सीकर (राज.) 72400-12121

ISBN 978-81-985498-1-5
9 788198 549815